

इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात जारी अनुशेष एवं शुद्धि पर्ची की पंजिका

संशोधन पर्ची

[illegible]

पूर्व रेलवे कोलकाता

ब्लॉक संचालन नियमावली (पुनर्मुद्रित 2004) का प्रथम परिशिष्ट एवं शुद्धिपत्र

1. वर्तमान नियम 3.06 (1) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा -

दोहरी लाइन के सेक्शन में दो स्टेशनों के बीच संचार के बिल्कुल ठप्प होने के मामले में अर्थात् जब प्राथमिकता के अनुसार नीचे बताए गये किसी एक साधन द्वारा “लाइन क्लियर” प्राप्त नहीं किया जा सकता हो, जैसे :-

- ए. ब्लॉक यंत्र, एक्सल काउंटर्स की ट्रैक सर्किटिंग.
- बी. ब्लॉक यंत्रों से जुड़े दूरभाष (टेलीफोन)
- सी. स्टेशन से स्टेशन नियत दूरभाष जहां उपलब्ध हो.
- डी. निर्धारित टेलीफोन जैसे रेलवे स्वचालित फोन एवं बी एस एन एल फोन
- ई. कन्ट्रोल टेलीफोन.
- एफ. वी एच एफ सेट

2. वर्तमान नियम मद सं. 7.01 (ए), (बी) (सी) एवं (डी) को हटा दिया जाएगा. इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा -

- ए. ब्लॉक यंत्र, एक्सल काउंटर्स की ट्रैक सर्किटिंग.
- बी. ब्लॉक यंत्रों से जुड़े दूरभाष (टेलीफोन)
- सी. स्टेशन से स्टेशन नियत दूरभाष जहां उपलब्ध हो.
- डी. निर्धारित टेलीफोन जैसे रेलवे स्वचालित फोन एवं बी एस एन एल फोन
- ई. कन्ट्रोल टेलीफोन.
- एफ. वी एच एफ सेट

कोलकाता
दिनांक 8 नवम्बर, 2005

(एच. के. पाढ़ी)
मुख्य परिचालन प्रबंधक

पूर्व रेलवे कोलकाता

ब्लॉक संचालन नियमावली (पुनर्मुद्रित 2004) का द्वितीय परिशिष्ट एवं शुद्धिपत्र

1. वर्तमान नियम 3.05 (1) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा -

किसी दोहरी लाइन के सेक्शन में दो स्टेशनों के बीच संचार के बिल्कुल ठप्प होने के मामले में अर्थात् जब प्राथमिकता के अनुसार नीचे बताए गये निम्नलिखित किसी एक साधन द्वारा “लाइन क्लियर” प्राप्त नहीं हो, जैसे :-

- ए. ब्लॉक यंत्र, ट्रैक सर्किट अथवा एक्सल काउंटर
- बी. ब्लॉक यंत्रों से संबद्ध टेलीफोन
- सी. स्टेशन से स्टेशन के साथ लगे टेलीफोन जहां उपलब्ध हों.
- डी. निर्धारित टेलीफोन जैसे कि रेलवे स्वचालित फोन एवं वी एस एन एल फोन.
- ई. कंट्रोल टेलीफोन.
- एफ. विशेष अनुदेशों के तहत वी एच एफ सेट, किन्तु जहां सवारी गाड़ियां चलती हैं उन सेक्शनों पर संचार के सोल गिन्स की तरह नहीं.

आगे बताया जाता है कि -

- ए. उपर्युक्त प्राथमिकता के क्रम का किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं होना चाहिए. चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा.
- बी. मात्र विकल्प के रूप में वी एच एफ को छोड़कर संचार के सभी अन्य साधनों के विफल होने के मामले में, परिस्थिति, अवधि एवं तरीका, जिसमें, संचार के किसी एक अन्य साधन के पुनरुद्धार होने तक वी एच एफ का प्रयोग होगा, का निर्धारण करते हुए विशेष निर्देश के अंतर्गत ही लाइन क्लियर के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है.

निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षक कर्मचारी की उपस्थिति में ही काफी लंबी अवधि के लिए वी एच एफ सेटों का प्रयोग किया जाएगा.

- i) किसी इकहरी लाइन सेक्शन में, ब्लॉक यंत्र में कोई खराबी होने पर जिसके द्वारा पेपर लाइन क्लियर चालू किया जाना है, सिग्नल एवं टेलिकम निरीक्षक ऐसी विफलता की घटना के एक घंटे के भीतर स्टेशन पर तत्काल पहुंचेंगे.
- ii) यदि विफलता को तीन घंटे के अंदर ठीक नहीं कर लिया जाता है तो सेक्शन का टी आई अथवा कोई नजदीक का अन्य पर्यवेक्षकीय स्टेशन मास्टर को स्टेशन पर सहायता के लिए जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है और प्रत्येक गाड़ी के लिए जारी समुचित प्राधिकार पर ध्यान दिया जाता है कि इसमें कोई भूल नहीं है.
- iii) इस प्रकार की घटनाओं में, सेक्शन कंट्रोलर भी सुनिश्चित करेगा कि स्टेशन पर कोई क्रासिंग, पूर्ववर्तिता या अग्रता की व्यवस्था नहीं की जाती है जहां इस प्रकार की विफलता चल रही है.

- iv) दोहरी लाइन सेक्शनों में इकहरी लाइन कार्य संचालन को चालू करने के दौरान समान पूर्वापाय किया जाना चाहिए.
- v) दोहरी लाइन के सेक्शन में ब्लॉक यंत्रों के असफल होने की हालत में, तीन घंटे के भीतर विफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता, तब तक सेक्शन कंट्रोलर ऐसे स्टेशनों पर पूर्ववर्तिता (प्रीसीडेन्स) की अनुमति नहीं देगा.
- vi) आगे, यदि ऊपर उल्लिखित पर्यवेक्षक स्टेशन पर, जहां अनुबंधित अवधि के भीतर ऐसी विफलता हुई हो, नहीं पहुंचते हैं और यदि कोई दुर्घटना होती है तो वे इसके लिए समान रूप से उत्तरदायी होंगे, यदि अनुपस्थिति श्रेष्ठजन के आदेश के कारण होती है, और श्रेष्ठ व्यक्ति यदि अधिकारी स्तर का हो तो वह भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा.

इस प्रक्रिया को अविलंब चालू किया जाना चाहिए. 30 कि.मी.प्र.घं. की गति प्रतिबंध इस आधार पर जहां कहीं लागू किया जा रहा है इसे बंद किया जाय.

- सी) तथापि जहां केवल माल भाड़ा गाड़ियां चलती हैं, विशिष्ट साइडिंग/सेक्शनों के लिए, पृथक विशेष निर्देशों के अंतर्गत संचार के मात्र साधन के रूप में वी एच एफ सेटों का प्रयोग किया जा सकता है.
- डी) सभी मामलों में, जहां ब्लॉक यंत्र से जुड़े टेलीफोन अथवा ब्लॉक यंत्र/ट्रैक सर्किट/एक्सल काउंटर के अतिरिक्त संचार के किसी माध्यम द्वारा लाइन क्लियर प्राप्त किया जाता/दिया जाता है, स्टेशन का नाम रखने की प्रणाली या तो तीन गाड़ियों को चलाने हेतु लाइन क्लियर के लिए दिए गए प्राइवेट नम्बर की क्रॉस जांच अथवा नम्बर शीट की पहचान के माध्यम से कार्यरत स्टेशन मास्टर की पहचान करते हुए नियत किया जाएगा.
- ई) आगे यह बताया जाता है कि जब कभी मोबाइल रेडियो की वैश्विक प्रणाली उपलब्ध की गई हो/की जा रही हो तो लाइन क्लियर के प्रयोजन के लिए वी एच एफ सेट के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

2. वर्तमान नियम मद सं. 7.01 (ए), (सी) एवं (डी) को हटा दिया जाएगा. उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

- ए. ब्लॉक यंत्र, ट्रैक सर्किट अथवा एक्सल काउंटर
- बी. ब्लॉक यंत्रों से संबद्ध टेलीफोन
- सी. स्टेशन से स्टेशन के साथ लगे टेलीफोन जहां उपलब्ध हों.
- डी. निर्धारित टेलीफोन जैसे कि रेलवे स्वचालित फोन एवं वी एस एन एल फोन.
- ई. कंट्रोल टेलीफोन.
- एफ. विशेष अनुदेशों के तहत वी एच एफ सेट, किन्तु जहां सवारी गाड़ियां चलती हैं उन सेक्शनों पर संचार के सोल मिन्स की तरह नहीं.

आगे बताया जाता है कि -

- ए. उपर्युक्त प्राथमिकता के क्रम का किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं होना चाहिए. चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा.
- बी. मात्र विकल्प के रूप में वी एच एफ को छोड़कर संचार के सभी अन्य साधनों के विफल होने के मामले में, परिस्थिति, अवधि एवं तरीका, जिसमें, संचार के किसी एक अन्य साधन के पुनरुद्धार होने तक वी एच एफ का प्रयोग होगा, का निर्धारण करते हुए विशेष निर्देश के अंतर्गत ही लाइन क्लियर के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है.

निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षक कर्मचारी की उपस्थिति में ही काफी लंबी अवधि के लिए वी एच एफ सेटों का प्रयोग किया जाएगा-

- i) किसी इकहरी लाइन सेक्शन में, ब्लॉक यंत्र में कोई खराबी होने पर जिसके द्वारा पेपर लाइन क्लियर चालू किया जाना है सिग्नल एवं टेलिकम निरीक्षक ऐसी विफलता की घटना के एक घंटे के भीतर स्टेशन पर तत्काल पहुंचेंगे.
 - ii) यदि विफलता को तीन घंटे के अंदर ठीक नहीं कर लिया जाता है तो सेक्शन का टी आई अथवा कोई नजदीक का अन्य पर्यवेक्षकीय स्टेशन मास्टर को स्टेशन पर सहायता के लिए जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है और प्रत्येक गाड़ी के लिए जारी समुचित प्राधिकार पर ध्यान दिया जाता है कि इसमें कोई भूल नहीं है.
 - iii) इस प्रकार की घटनाओं में, सेक्शन कंट्रोलर भी सुनिश्चित करेगा कि स्टेशन पर कोई क्रासिंग, पूर्ववर्तिता या अग्रता की व्यवस्था नहीं की जाती है जहां इस प्रकार की विफलता चल रही है.
 - iv) दोहरी लाइन सेक्शनों में इकहरी लाइन कार्य संचालन को चालू करने के दौरान समान पूर्वोपाय किया जाना चाहिए.
 - v) दोहरी लाइन के सेक्शन में ब्लॉक यंत्रों के असफल होने की हालत में, तीन घंटे के भीतर विफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता, तब तक सेक्शन कंट्रोलर ऐसे स्टेशनों पर पूर्ववर्तिता (प्रीसीडेन्स) की अनुमति नहीं देगा.
 - vi) आगे, यदि ऊपर उल्लिखित पर्यवेक्षक स्टेशन पर, जहां अनुबंधित अवधि के भीतर ऐसी विफलता हुई हो, नहीं पहुंचते हैं और यदि कोई दुर्घटना होती है तो वे इसके लिए समान रूप से उत्तरदायी होंगे, यदि अनुपस्थिति श्रेष्ठजन के आदेश के कारण होती है, और श्रेष्ठ व्यक्ति यदि अधिकारी स्तर का हो तो वह भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा.
- इस प्रक्रिया को अविलंब चालू किया जाना चाहिए. 30 कि.मी.प्र.घं. का गति प्रतिबंध इस आधार पर जहां कहीं लागू किया जा रहा है इरो बंद किया जाय.
- सी) तथापि जहां केवल माल भाड़ा गाड़ियां चलती हैं, विशिष्ट साइडिंग/सेक्शनों के लिए, पृथक विशेष निर्देशों के अंतर्गत संचार के मात्र साधन के रूप में वी एच एफ सेटों का प्रयोग किया जा सकता है.
 - डी) सभी मामलों में, जहां ब्लॉक यंत्र से जुड़े टेलीफोन अथवा ब्लॉक यंत्र/ट्रेक सर्किट/एक्सल काउंटर के अतिरिक्त संचार के किसी माध्यम द्वारा लाइन क्लियर प्राप्त किया जाता/दिया जाता है, स्टेशन का नाम रखने की प्रणाली या तो तीन गाड़ियों को चलाने हेतु लाइन क्लियर के लिए दिए गए प्राइवेट नम्बर की क्रास जांच अथवा नम्बर शीट की पहचान के माध्यम से कार्यरत स्टेशन मास्टर की पहचान करते हुए नियत किया जाएगा.
 - ई) आगे यह बताया जाता है कि जब कभी मोबाइल रेडियो की वैश्विक प्रणाली उपलब्ध की गई हो/की जा रही हो तो लाइन क्लियर के प्रयोजन के लिए वी एच एफ सेट के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

कोलकाता
दिनांक 26.10.2006

ह0/-
एच. के. पाढ़ी
मुख्य परिचालन प्रबंधक

पूर्व रेलवे
कोलकाता

ब्लॉक संचालन नियमावली (पुनर्मुद्रित 2004) का तृतीय परिशिष्ट एवं शुद्धिपत्र

- 1) निम्नलिखित को वर्तमान प्रथम पैरा के नियम 3.05 (I) के तहत पहले जोड़ा जाएगा.
“निम्नलिखित प्रक्रिया को रेल के संचालन हेतु अपनाया जाएगा”
- 2) निम्नलिखित के तहत वर्तमान नियम 3.05 (I) (डी) को प्रतिस्थापित किया जाएगा.
3.05 (I) (डी) विशेष निर्देश के अंतर्गत लगाए गए टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटो फोन एवं बी एस एन एल फोन बी डब्ल्यू एम के परिशिष्ट “ए” में वर्णित प्रत्येक रेल गाड़ी के लिए अलग से पहचान संख्या के साथ “लाइन क्लियर” प्राप्त किया जाएगा.
- 3) निम्नलिखित को वर्तमान प्रथम पैरा के नियम 7.01 (I) के तहत पहले जोड़ा जाएगा.
“निम्नलिखित प्रक्रिया को रेल के संचालन हेतु अपनाया जाएगा ”
- 4) निम्नलिखित के तहत वर्तमान नियम 7.01 (डी) को प्रतिस्थापित किया जाएगा.
7.01 (डी) विशेष निर्देश के अंतर्गत लगाए गए टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटो फोन एवं बी एस एन एल फोन जैसे “लाइन क्लियर” बी डब्ल्यू एम के परिशिष्ट “ए” प्रत्येक रेल गाड़ी के लिए अलग से पहचान संख्या प्राप्त किया जाएगा.

कोलकाता
दिनांक 11.02.2007

(एच. के. पाढ़ी)
मुख्य परिचालन प्रबंधक

पूर्व रेलवे
कोलकाता

ब्लॉक संचालन नियमावली (पुनः मुद्रित 2004) का चतुर्थ शुद्धिपत्र एवं परिशिष्ट

- (1) निम्नलिखित को अध्याय-III (ए) समझा जाय एवं इसे ब्लॉक संचालन नियमावली (पुनः प्रकाशित 2004) के अध्याय-III एवं IV के स्थान पर रखा जाय.

अध्याय-III ए

एक्सेल काउंटर ब्लॉक सहित दोहरी लाइन ब्लॉक संचालन

भाग-1

सामान्य

ब्लॉक संचालन नियमावली का यह अध्याय एक्सेल काउंटर द्वारा ब्लॉक प्रवर्ग सहित ब्लॉक पैनल के लिए है. इन नियमों का अध्ययन हर हाल में सामान्य एवं सहायक नियम तथा ब्लॉक संचालन नियमावली के साथ किया जाय

3ए.01. ब्लॉक पैनल:

ब्लॉक पैनल का मतलब है एक्सेल काउंटर के साथ जुड़ा हुआ पैनल जो दोहरी लाइन ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों के संचालन को नियंत्रित करता है।

3ए.02. नियमों का ज्ञान:

ब्लॉक पैनल पर कार्य करने वाले प्रत्येक रेल कर्मचारी को हर हाल में ब्लॉक संचालन से संबंधित नियमों का ज्ञान होना चाहिए।

3ए.03. उपस्करों तक पहुँच एवं उपस्करों का परिचालन:

1. किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को उपस्करों तक पहुँचने की अनुमति नहीं दी जायगी और न ही सिगनल, प्वाइंट एवं ब्लॉक पैनल तथा बिजली संचार उपकरणों या रेलवे के संचालन से जुड़े किसी अन्य उपकरणों को संचालित करने की अनुमति दी जायगी।
2. नियमित ड्यूटी के लिए जरूरी आवश्यकताओं को छोड़कर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को (रेलवे कर्मचारी हो या अन्य कोई) ब्लॉक/सिगनल केबिन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायगी. इन अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन हो रहा है इसपर सभी संबंधित पर्यवेक्षण कर्मचारी नियमित रूप से एवं औचक जांच के माध्यम से निगरानी रखेंगे।
3. इसके लिए अधिकृत व्यक्ति स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति होंगे।

भाग-II

ब्लॉक पैनल का विवरण

3ए.04. ब्लॉक पैनल

दोहरी लाइन सेक्शन में एक ब्लॉक स्टेशन से दूसरे ब्लॉक स्टेशन तक प्रत्येक ट्रेन का संचालन एवं उनकी दिशा पर नियंत्रण एक्सेल काउंटर एवं अन्य उपकरणों से जुड़े ब्लॉक पैनल के माध्यम से होता है।

3ए.05. ब्लॉक पैनल डायग्राम:

ब्लॉक पैनल का रेखाचित्र

3ए.06. ब्लॉक पैनल का विवरण:

ब्लॉक पैनल पर एक फ्रेम में पुश बटन स्विच, चाबी संकेत, काउंटर, ब्लॉक घंटी, ब्लॉक टेलिफोन एवं बजर आदि लगे होते हैं। ब्लॉक पैनल की व्याख्या के अनुसार इसे 3 स्थितियों अर्थात् ए, बी एवं सी में बांटा जा सकता है।

स्थिति-‘ए’ : इनमें तीन पंक्तियाँ होती हैं।

ऊपरी पंक्ति:- इसके कक्ष में ‘ट्रेन गोइंग टू’ दिशा से संबंधित विभिन्न प्रकार के इंडीकेशन(संकेत) होते हैं।

मध्य पंक्ति:- इसके कक्ष में विभिन्न प्रकार के पुश बटन, स्टेशन मास्टर की चाबी एवं एलसीबी चाबी रहती है।

निचली पंक्ति: इसके कक्ष में एलएसएस, टीजीटी, एसीके एवं टीसीएफ-एसीके इंडीकेशन(संकेत) होते हैं।

स्थिति-‘बी’ : इसके कक्ष में ‘ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम’ दिशा से संबंधित विभिन्न प्रकार के इंडीकेशन(संकेत) होते हैं।

स्थिति-‘सी’ : इसके कक्ष में रिसेट काउंटर, रिसेट चाबी, तथा रिसेट को-ऑपरेशन इंडीकेशन(संकेत) होते हैं।

विभिन्न प्रकार के पूर्यों एवं हिस्सों का विवरण नीचे दिया गया है:-

3ए.07. पुश बटन:

- (i) **टीजीटी पुश बटन:** ‘ट्रेन गोइंग टू’ पुश बटन ब्लॉक पैनल के ‘ए’ हिस्से में लगा रहता है और ब्लॉक सेक्शन में किसी गाड़ी को भेजने के लिए लाइन क्लियर प्राप्त करने हेतु इसे बेल पुश बटन के साथ दबाया जायगा।
- (ii) **‘टीजेटी’ एसीके :** ‘ट्रेन गोइंग टू’ एक्नॉलेजमेंट पुश बटन ब्लॉक पैनल के ‘ए’ हिस्से में लगा रहता है और इसे ‘ट्रेन गोइंग टू’ दिशा में ऑक्यूपायड एक्सल काउंटर की विफलता अथवा फ्री एक्सल काउंटर को रिस्टोर करने संबंधी पावती के लिए दबाया जायगा।
- (iii) **टीसीएफ एसीके :** ‘ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम’ एक्नॉलेजमेंट पुश बटन ब्लॉक पैनल के ‘ए’ हिस्से में लगा रहता है और इसे ‘ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम’ दिशा में ऑक्यूपायड एक्सल काउंटर की विफलता अथवा फ्री एक्सल काउंटर को रिस्टोर करने संबंधी पावती के लिए दबाया जायगा।
- (iv) **घंटी पुश बटन :** यह पुश बटन ब्लॉक पैनल के ‘ए’ हिस्से में लगा रहता है और जब इसे दबाया जाता है तो दूसरे छोर के ब्लॉक स्टेशन पर एक प्रहार के साथ एक घंटी बजती है।

घंटी पुश बटन का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाएगा:-

- (ए) घंटी सिगनलों के लिए निर्धारित कोडों को ट्रांसमिट करने के लिए।
- (बी) लाइन क्लियर प्राप्त करने के लिए जब इसे टीजीटी पुश बटन के साथ दबाना हो।
- (सी) जब निकाली गई एलसीबी चाबी के साथ परिचालन किया जा रहा हो तब गाड़ी प्रवेश कराने वाले स्टेशन द्वारा प्रेषण छोर के स्टेशन द्वारा पहले प्राप्त लाइन क्लियर को रद्द करने के लिए।

- (v) **आरएसबी पुश बटन:** यह रिसेट पुश बटन है। जब प्रेषण छारे के एसएम को एक्सल काउंटर रिसेट करने

की आवश्यकता होती है तो वे इस पुश बटन को दबाकर एक्सल काउंटर को रिसेट कर सकते हैं।

3ए.08. चाभियाँ:

- (i) स्टेशन मास्टर की चाबी: ब्लॉक पैनल के लिए स्टेशन मास्टर की कंट्रोल चाबी दो स्थितियों वाली चाबी है। यह ब्लॉक पैनल के 'ए' हिस्से में लगी रहती है। स्टेशन मास्टर ब्लॉक पैनल पर नियंत्रण रख सके इसलिए यह चाबी उपलब्ध करायी गई है।
स्टेशन मास्टर की चाबी सामान्यतः स्टेशन मास्टर की व्यक्तिगत हिफाजत में रखी रहती है। जब ब्लॉक पैनल पर कोई परिचालन करना होता है तब इस चाबी को ब्लॉक पैनल में डालकर घुमाया जाता है।
जब यह चाबी ब्लॉक पैनल से बाहर रहती है तब केवल निम्नलिखित परिचालन करना संभव है।
 - ए) घंटी कोड सिगनलों का आदान-प्रदान;
 - बी) टीजीटी एसीके/ टीसीएफ एसीके पुश बटनों को दबाकर ट्रेनों के प्रवेश/क्लियरेंस/एक्सल काउंटर की विफलता/रिस्टोर के बज्रों का एक्नॉलेजमेंट.
- (ii) एलसीबी चाबी: लाइन क्लियर ब्लॉकिंग कैंसलिंग चाबी दो स्थितियों वाली चाबी है। सामान्य तौर पर यह चाबी ब्लॉक पैनल में डालकर घुमाई गई स्थिति में रहती है। यह ब्लॉक पैनल के 'ए' हिस्से में लगी रहती है। केवल निम्नलिखित मामलों में प्रवेश छोर का स्टेशन मास्टर ब्लॉक पैनल से यह चाबी निकाल सकता है।
 - ए) प्रेषण छोर का स्टेशन मास्टर के साथ लाइन क्लियर उपलब्धता प्राप्त करने की सुविधा को उठाने संबंधी आपातकालीन मामले में.
 - बी) यदि प्रेषण छोर के स्टेशन मास्टर ने किसी गाड़ी का प्रेषण करने के लिए पहले ही लाइन क्लियर प्राप्त कर लिए हों तो उसे इस चाबी को निकालकर रद्द किया जा सकता है और इसके लिए स्टेशन मास्टर की चाबी डालकर उसे बेल पुश बटन के साथ दबाया जाएगा बशर्ते कि जिस गाड़ी के लिए अनुमति प्राप्त हुई है, वह ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश नहीं की है।
 - सी) सेक्शन में ट्रेन को भेजने के लिए भेजने वाले स्टेशन का एलएसएस यदि पहले से ऑफ स्थिति में हो तो वह स्वतः ही ऑन स्थिति में परिवर्तित हो जायगा।
- नोट:** इन सुविधाओं का उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही किया जा सकता है तथा स्टेशन संचालन नियमों में इस कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के लिए बचाव की पर्याप्त की व्यवस्था की गई है, ताकि इन सुविधाओं का दुरुपयोग न हो.
- (iii) **आरएसके चाबी:** यह रिसेट चाबी ब्लॉक पैनल के 'सी' हिस्से में लगी रहती है। यह एक लॉक रहित चाबी है और जब प्रवेशकर्ता स्टेशन पर इस चाबी को डालकर घुमाते हुए पुश किया जाता है तब यह एक्सल काउंटर को रिसेट कर देता है बशर्ते कि ब्लॉक सेक्शन का क्लियर होना प्रमाणित (पक्की) हो.
- iv) अतः इस चाबी का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाय एवं सुनिश्चित कर लिया जाए कि ब्लॉक सेक्शन सभी बाधाओं से मुक्त है.

3ए.09. इंडिकेशन:

- टीएफसी एवं टीजीटी दिशाओं के लिए ब्लॉक पैनल पर अलग-अलग इंडिकेटर लगे हुए हैं.
- बी) टीसीएफ एसीके संकेत(इंडिकेशन)- ब्लॉक सेक्शन के ऑक्यूपायड रहने के मामले में अथवा जब ट्रेन पहुँच रही हो तब बज्र आवाज करता है और इसका संकेत रिसिविंग छोर पर स्टेशन मास्टर को एक पीली बत्ती के रूप में मिलता है.
- (v) रिसेट को-ऑपरेशन इंडिकेशन: (ब्लॉक पैनल के 'सी' हिस्से में) रिसेट को-ऑपरेशन के लिए एक पीली बत्ती का इंडिकेशन प्राप्त होता है जो यह दर्शाता है कि एक्सल काउंटर की रिसेटिंग के लिए को-ऑपरेशन का विस्तार किया गया है.

3ए.10. काउंटर(ब्लॉक पैनल के 'सी' हिस्से में)

एक्सल काउंटर रिसेट: एक्सल काउंटर को कितने बार रिसेट किया गया है इसकी संख्या को दर्ज करने के लिए

काउंटर.

3ए.11. बजर:

जब कोई गाड़ी किसी ब्लॉक सेक्शन को क्लियर/ऑक्यूपाई करती है अथवा एक्सल काउंटर सामान्य स्थिति में विफल/रिस्टोर हो जाता है तब एक बजर की आवाज आने लगती है. स्टेशन मास्टर इस बजर की आवाज को टीजीटी एसीके अथवा टीसीएफ एसीके पुश बटनों को दबाकर शान्त कर सकते हैं. इस बजर के अलावा टीजीटी एसीके अथवा टीसीएफ एसीके पुश बटनों के ऊपर पीला संकेत भी प्राप्त होता है जो स्टेशन मास्टर को बताता है कि कौन सा बटन दबाया गया है.

3ए.12. ब्लॉक बेल:

यह एक बार बजने वाली घंटी(बेल) है और यह ब्लॉक सेक्शन के दोनों छोर पर पैनल के ऊपर लगे बेल पुश बटन द्वारा परिचालित होता है. यह दूसरे स्टेशन को आवाज के रूप में सिगनल देता है.

3ए.13. ब्लॉक टेलिफोन:

इसे स्टेशन मास्टर एवं दोनों छोर के ब्लॉक सेक्शनों के बीच तेज संचार के लिए मुहैया कराया गया है.

3ए.14. लॉक:

ब्लॉक पैनल के पीछे दो लॉक लगे हुए हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

ए) सिगनल मेन्टेनर का लॉक.

बी) स्टेशन मास्टर का लॉक.

इन दोनों लॉकों को तबतक नहीं खोला जाता है जबतक कि अनुरक्षण कार्य के लिए ब्लॉक पैनल को पीछे से खोला नहीं जाता.

3ए.15. ब्लॉक संचालन:

- (i) गाड़ियाँ पूर्ण ब्लॉक सिस्टम(प्रणाली) पर चलेंगी. ब्लॉक का संचालन ब्लॉक पैनल, एक्सल काउंटर एवं सहयोगी उपस्करों के माध्यम से किया जाता है. ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों के संचालन का नियंत्रण ब्लॉक पैनल पर लगे ऑपरेटिंग बटनों, चाभियों एवं संकेतों(इंडिकेशन) के जरिए होता है.
- (ii) प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन में दोहरी लाइन सेक्शन के दोनों लाइनों के लिए ब्लॉक सेक्शन के दोनों छोर पर एक-एक ब्लॉक पैनल लगे होते हैं. लाइन क्लियर प्राप्त करने, लाइन क्लियर रद्द करने आदि परिचालन संबंधी कार्य इन पैनलों के माध्यम से किया जाता है.
- (iii) एक्सल काउंटरो के माध्यम से सम्पूर्ण ब्लॉक सेक्शन का ऑक्यूपेंसी प्रमाणित होता है अन्यथा लाइन क्लियर प्राप्त करना अथवा ब्लॉक सेक्शन को बंद करना तबतक संभव नहीं होता है जबतक कि सम्पूर्ण ब्लॉक सेक्शन गाड़ी रहित न हो. लाइन क्लियर प्रेषण छोर के स्टेशन मास्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है और रिसिविंग स्टेशन पर गाड़ी के पूरी तरह से पहुँच जाने पर ब्लॉक सेक्शन स्वतः ही बंद हो जाता है.

3ए.16. परिचालन के सिद्धांत:

संबंधित अंतिम स्टॉप सिगनलों पर इलेक्ट्रीकल कंट्रोल लगे हुए हैं ताकि सुनिश्चित हो सके कि:-

- (i) सेंडिंग स्टेशन पर अंतिम स्टॉप सिगनल को तबतक टेक ऑफ नहीं किया जा सकेगा जबतक कि सेंडिंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर टीजीटी एवं बेल पुश बटनों को नहीं दबाते हैं और रिसिविंग स्टेशन पर लाइन क्लियर मंजूर करने के लिए सभी शर्तें उपलब्ध नहीं होती. बाद में ब्लॉक सेक्शन के दोनों छोर पर लगे एक्सल काउंटर एवं सहायक उपस्कर द्वारा इसकी स्वतः जांच होती है.
- (ii) ए) अंतिम स्टॉप सिगनल का लीवर (लीवर फ्रेम के मामले में) रिवर्स स्थिति में मुक्त रहता है ताकि जब जरूरत हो तब इसे सामान्य स्थिति में लाया जा सके.
बी) जहाँ पर अंतिम स्टॉप सिगनल को परिचालित करने के लिए स्विच/पुश बटन लगे हुए हैं वहाँ स्टेशन पर लगे सिगनलिंग सर्किटों की मदद से इसे 'ऑन' स्थिति में परिवर्तित करना संभव है.
- (iii) सेंडिंग स्टेशन द्वारा लाइन क्लियर प्राप्त कर लेने के बाद यदि रिसिविंग स्टेशन किसी गाड़ी को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो अथवा कोई आपातकालीन घटना हो गई हो तो ऐसी स्थिति में सर्किट रिसिविंग स्टेशन को सेंडिंग स्टेशन पर अंतिम स्टॉप सिगनल को 'ऑन' स्थिति में वापस करने की अनुमति देता है बशर्ते कि ट्रेन पिछले स्टेशन से नहीं खुली हो.
- (iv) सर्किट एक गाड़ी के लिए एक लाइन क्लियर तथा एक गाड़ी के लिए एक सिगनल के सिद्धांत पर कार्य करता

है ताकि सेंडिंग स्टेशन से किसी गाड़ी के प्रस्थान पर यदि सेंडिंग स्टेशन का अंतिम स्टॉप सिगनल ऑन स्थिति में चला आता है तब उसे तबतक पुनः क्लियर नहीं किया जा सकता जबतक कि रिसिविंग स्टेशन पर पूर्ववर्ती गाड़ी के पूर्ण रूप से पहुँच जाने के बाद नये सिरे से लाइन क्लियर प्राप्त नहीं किया जाता.

भाग-II

परिचालन प्रक्रियाँ

3ए.17. लाइन क्लियर प्राप्त करने का तरीका:

पीछे के स्टेशन से आगे के स्टेशन पर किसी गाड़ी को भेजने के लिए लाइन क्लियर प्राप्त करने हेतु परिचालन के क्रम निम्नवत् हैं:-

मान लें एक्स एवं वाई दो स्टेशन हैं और कोई गाड़ी एक्स से वाई जाने के लिए प्रतीक्षारत है. ब्लॉक सेक्शन को क्लियर किया जा रहा है और लाइन क्लोज(बंद) है. एक्स स्टेशन पर लगे ब्लॉक पैनल के 'ए' हिस्से में लगा 'ट्रेन गोइंग टू' इंडिकेटर और वाई स्टेशन पर लगे ब्लॉक पैनल के 'बी' हिस्से में लगा 'ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम' इंडिकेटर में पीला संकेत प्रदर्शित होगा.

'X' स्टेशन(सेंडिंग)		'Y' वाई स्टेशन(रिसिविंग)	
1	वाई स्टेशन को 'कॉल ऐटेंशन अटेंड टेलिफोन' सिगनल भेजने के लिए एसएम की चाभी को घुसाकर घुमाये और बेल पुश बटन को दबाएं	2	बेल सिगनल का एक्नॉलेजमेंट बेल पुश बटन को दबाकर दें। टेलिफोन अटेंड करें।
3	एक्नॉलेजमेंट सिगनल प्राप्त करें। टेलिफोन अटेंड करें और अपने स्टेशन का नाम बताएं	4	अपने स्टेशन का नाम बताएं
5	नम्बर देते हुए सहमति पूछें एवं गाड़ी का विवरण दें।	6	नम्बर को दुहराते हुए सहमति दें और गाड़ी का विवरण दें। बशर्ते कि इसे स्वीकार किया जा सके। ब्लॉक पैनल में एलसीबी चाभी लगी हुई और घुमायी हुई स्थिति में है इसे सुनिश्चित करने के बाद इसकी पुष्टि प्राइवेट नम्बर देते हुए की जायगी।
7.	'टीजीटी' पुश बटन के साथ 'बेल' पुश बटन को दबाकर लाईन क्लियर को प्राप्त करना तथा उसे दबाए रखना.	8.	हरे संकेत से गाड़ी आ रही है, यह ब्लॉक पैनल प्रदर्शित करती है. 'लाईन बंद' होने पर पीला संकेत गायब हो जाता है.
9.	"गाड़ी के तरफ जा रही है" पर हरा संकेत को ब्लॉक पैनल प्रदर्शित करती है. 'लाईन बंद' होने पर पीला संकेत गायब हो जाता है. बटन को रिलीज करें.	12.	'गाड़ी लाईन पर है' पर पैनल पर स्वतः ही उभरेगा तथा बजर लगातार बजता रहेगा. 'लाईन अकुपाई हो गया है' तथा 'लाईन फ्री' होने पर हरा संकेत गायब हो जाएगा. बजर को शांत करने के लिए एसएम 'टीजीटी ऐक' को दबाये.
10.	गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में भेजने के लिए डिपार्चर सिगनल को उठाएं, ब्लॉक पैनल के 'ए' वाले	13.	रिसेप्शन सिगनल टेक ऑफ होगा. जैसे ही गाड़ी होम सिगनल से गुजर जाएगा वैसे ही स्वतः

	भाग पर एलएसएस हरी बत्ती का संकेत उभरेगा.		सिगनल 'आन' पर वापस हो जाएगा. गाड़ी के पूरी तरह से होम सिगनल के ब्लॉक ओवर लैप अहेड से गुजर जाने के बाद बरज लगातार बजता रहेगा.
11.	अंतिम स्टॉप सिगनल के सामने जैसे ही गाड़ी ट्रैक पर आएगी वैसे ही एलएसएस स्वतः स्फूर्त 'आन' की स्थिति में आ जाएगी. ब्लॉक पैनल के 'ए' वाले भाग पर एलएसएस हरी बत्ती का संकेत उभरेगा तथा गाड़ी लाईन पर है के लिए लाल संकेत स्वतः ही उभरेगा साथ ही बजर भी बजेगा. 'लाईन अकुपाई हो गया है'. पर लाल संकेत उभरेगा तथा 'लाईन फ्री' होने पर हरा संकेत गायब हो जाएगा. बजर को शांत करने के लिए एसएम 'टीजीटी ऐक' को दबाये.	14.	'लाईन बंद' पर पीला संकेत तथा 'गाड़ी लाईन पर' हाने पर संकेत गायब हो जाएगा, यह ब्लॉक पैनल प्रदर्शित करता है.
		15.	बजर को शांत करने के लिए एसएम 'टीजीटी ऐक' को दबाये.
16.	'लाईन बंद' पर पीला संकेत तथा 'गाड़ी लाईन पर' होने पर लाल संकेत गायब हो जाएगा, यह ब्लॉक पैनल प्रदर्शित करता है बजर बजेगा जो एसएम द्वारा 'टीजीटी ऐक' को दबाने पर शांत होगा.	17.	उपलब्ध कराए गए होम सिगनल लिवर तथा इसके एसएम के कंट्रोल स्लाइड को सामान्य स्थिति में वास किया जाएगा.
		18.	अपने आप को यह आश्वस्त हो जोन के बाद कि अंतिम वेहिकल पर टेल लैंप/टेल बोर्ड पर गाड़ी पूरी तरह से आ चुकी है या गुजर गई है, 'गाड़ी सेक्शन से बाहर' का सिगनल देगा.
19.	'गाड़ी सेक्शन से बाहर' के सिगनल को पावती देगा.		

3ए.18 'ईज लाईन क्लियर' सिगनल की अस्वीकृति तथा 'अवरोध डेंजर सिगनल' को भेजना.

- 1) सेक्शन में गाड़ी की मौजूदगी अथवा शंटिंग या अन्य किसी कारण के कारण लाईन ब्लॉक किया गया हो तो ब्लॉक स्टेशन एडवांस में 'इज लाईन क्लियर' सिगनल लेने में अक्षम है. ऐसे स्टेशन को टेलिफोन से इसे आवश्यक रूप से अस्वीकार किया जाए साथ ही ब्लॉक पैनल के 'ए' भाग से एलसीवी चाभी को निकाल दिया जाए.
- 2) यदि एडवांस में ब्लॉक स्टेशन गाड़ी को स्वीकार करने की सहमति नहीं देता है तब गाड़ी को आवश्यक रूप से स्टेशन के पिछे रोक दिया जान चाहिए तथा एडवांस में ब्लॉक स्टेशन द्वारा जब तक एक नई सहमति नहीं दे दी

जाती है तब तक खोलने की अनुमति न दिए जाएं.

3.ए.19.गाड़ी प्रवेश के सेक्शन सिगनल:

- 1) ब्लॉक सेक्शन के मध्य गाड़ी के प्रस्थान तथा एलएसएस के एडवांस के ठीक पास ट्रैक सर्किट के अकुपाई पर गाड़ी भेजने वाले तथा पाने वाले स्टेशन दोनों परही ही बजर बजेगा. इसे एकनालेजमेंट बटनों अर्थात 'टीजीटी एक' को गाड़ी भेजने वाले एसएम तथा 'टीसीएफ एक' को गाड़ी स्वीकारने वाले स्टेशनों को दबाकर प्राप्ति की सूचना दिया जाए.
- 2) इस प्रकार प्राप्ति स्वीकृति के पश्चात किसी अन्य गाड़ी के लिए सेक्शन को ब्लाक समझा जाएगा.

3ए.20.'गाड़ी सेक्शन से बाहर' या 'बाधा हटा लिया गया' सिगनल

जब सिगनल गाड़ी के आगमन या ब्लॉक सेक्शन के ब्लॉकिंग के कारण समाप्त करने के बाद जिस एक्सल काउंटर उपकरण से ज्ञात किया जाता है, जब सेक्शन को क्लियर किया जाता है तब गाड़ी स्वीकारने वाले एवं भेजने वाले स्टेशनों दोनों तरफ बजर चालू हो जाएगा. इसे एकनालेजमेंट बटनों अर्थात टीसीएफ एक को गाड़ी स्वीकारने वाले एसएम तथा टीबीटी एक को गाड़ी भेजने वाले एसएम द्वारा दबाकर प्राप्ति की सूचना दिया जाए.

3ए.21.बाधा/खतरा सिगनल.

- 1) यह सिगनल एक 'खतरा' सिगनल है तथा किसी भी खतरे की स्थिति, जब किसी गाड़ी को रोकना हो अथवा अगले स्टेशन के एसएम का ध्यान तत्काल आकर्षित करना हो, तो इसे प्रचालित किया जाएगा।
- 2) इसे हमेशा ही तत्परता के साथ अवगत कराया जाए तथा ब्लॉक स्टेशन में प्रवेश करने वाली किसी गाड़ी को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाया जाना चाहिए।
- 3) यदि लाइन क्लियर को प्राप्त कर लिया गया हो, तब बाधा/खतरा सिगनल को प्राप्त करने वाला स्टेशन इस तरह प्राप्त किए गए 'लाइन क्लियर' को रद्द करें।
- 4) बाधा/खतरा सिगनल को खतरा सिगनल के रूप में रिकार्ड किया जाए तथा इसे केवल खतरों या अकस्मात के आपातकालीन परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाए. जब यह आवश्यक हो कि उस गाड़ी को रोकना है। जिसके लिए लाइन क्लियर दिया जा चुका है, तब इस सिगनल को देने वाला स्टेशन अर्थात गाड़ी प्राप्त करने वाला स्टेशन एलसीबी चाभी को बाहर निकाल लेंगे तथा 'बेल पुश बटन' को लगातार दबाएगा। इसे एसएम के चाभी से 'एन' स्थिति में किया जाना है। प्राप्त करने वाला स्टेशन का एसएम इसके कारण को टीएसआर में दर्ज करेगा तथा पीछे के स्टेशन से प्राइवेट नंबर का अदान-प्रदान करेगा।

3ए.22. एक्सल काउंटर जब असफल हो जाए तो उसे पुनः सेट करने की पद्धति.

प्राप्ति स्टेशन पर जब किसी गाड़ी को प्राप्त किया गया है अथवा ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी प्रवेश नहीं की हो अथवा कोई ब्लॉक फॉरवार्ड अथवा ब्लॉक बैक अभियान पूर्ण हो गया हो, के बाद भी यदि, 'लाइन आकुपाईड है' संकेत मौजूद हो, तब प्राप्ति स्टेशन एसएम एवं प्रेषण स्टेशन एसएम, एक्सल काउंटर को पुनः सेट करने के लिए निम्नलिखित पद्धति का अनुसरण करेंगे -

- (i) निम्नलिखित साधनों में से किसी भी एक के द्वारा यह सत्यापित किया जाए कि ब्लॉक सेक्शन वाहनों से मुक्त है

- (ए) जीआर एवं एसआर में उल्लेखित पद्धति का पालन करते हुए गाड़ी के गार्ड, जो उक्त पूर्णागमन रजिस्टर में समय के उल्लेख के साथ हस्ताक्षर **(सिगनलिंग)** के द्वारा अभिप्रमाणित करेंगे, के जरिये पूर्णागमन रजिस्टर को भेजकर प्राप्ति स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा आगे के स्टेशन पर किसी गाड़ी के पूरी तरह से आगमन का पता लगाएगा, यदि गाड़ी एलवी के साथ बगैर ब्रेकवैन/एलवी के चल रही है, तो स्टेशन मास्टर स्वयं अंतिम वेहिकल की व्यक्तिगत रूप से जांच करेंगे.
- (बी) ट्रेन सिगनल पंजिका से उस ब्लॉक सेक्शन से गुजरी अंतिम गाड़ी के विवरण की जांच तथा अगले स्टेशन के एसएम अथवा कंट्रोलर से पता लगाना कि वह अंतिम गाड़ी जो गुजरी है वह पूरी तरह से आ चुकी है.
- (ii) उपर्युक्त जांच के पश्चात ऐसे जांच होने के प्रतीक के रूप में रिसिविंग छोर के केबिन के साथ प्राइवेट नंबरों का आदान-प्रदान किया जाए.
- (iii) रिसिविंग स्टेशन द्वारा एक्सल काउंटर को पुनः सेट किया जाए. रिसिविंग स्टेशन के एसएम इस बात से आश्वस्त होने के बाद कि ब्लॉक सेक्शन में कोई भी वेहिकल नहीं रह गया है, प्रेषक स्टेशन के एसएम को पूरे तथ्यों से अवगत कराएंगे तथा उनसे अनुरोध करेंगे एक्सल काउंटर के रिसेटिंग में आपरेट करें.
- (iv) प्रेषक स्टेशन एसएम अपने ब्लॉक पैनल पर मौजूद 'आरएसबी' पुश बटन को दबाएंगे.
- (v) पीले 'रिसेट को आपरेशन' संकेत मिलने के बाद रिसिविंग स्टेशन एसएम एक्सल काउंटर के रिसेटिंग हेतु पैनल पर आरएस के चाभी को धुसाएंगे, धुसाएंगे तथा दबाएंगे.
- (vi) रिसेट काउंटर एक नंबर से बढ़ जाएगा. आरएस के चाभी पर प्रेशर रिलिज करने पर ब्लॉक पैनल पर दोनों छोर पर 'लाईन आकुपाईड' लाल संकेत गायब हो जाएगा.
- (vii) हाथों से किए गए एक्सल काउंटर के प्रत्येक रिसेट के लिए प्राइवेट नंबरों के आदान-प्रदान सहित काउंटर के इस वृद्धि को ट्रेन पंजिका में दर्ज किए जाए. इसके बाद रिसिविंग छोर के एसएमआरएस के चाभी को निकाल लेंगे तथा इस चाभी को सुरक्षित संरक्षण में रखेंगे. रिसिविंग छोर पर एक्सल काउंटर के प्रत्येक रिसेटिंग के लिए स्टेशन पर काउंटर पंजिका का रख-रखाव किया जाए.

टिप्पणी:

उपरलिखित पारा(1) में उल्लेखित किसी भी माध्यम से यदि गाड़ी के पूरी तरह से आगमन को एसएम जांच नहीं कर पार रहे हो तो ऐसे मामले में एक्सल काउंटर के रिसेटिंग के लिए रिसेटिंग के लिए फार्म सं. टी/सी1425 एवं डाउन गाड़ियों के लिए फार्म सं. टी/बी 1425, ड्राइवर को यह सूचित करते हुए कि सावधानी आदेश सहित कि स्पष्ट रौशनी में दिन में 15 किमी प्रतिघंटा एवं रात में 8 किमी प्रतिघंटा तथा जब दिन में रौशनी खराब हो तो प्रतिबंधित गति से कोई बाधा है कि नहीं, देखत हुए चलें एवं प्रथम गाड़ी को रवाना करें. यह गाड़ी जब रिसिविंग छोर स्टेशन पर पूरी तरह से आगमन कर जाए तब उसके पश्चात एक्सल काउंटर को उपरलिखित पद्धति का अनुसरण करत हुए रिसेट किया जाए.

3.ए..23 लाईन क्लियर को रद्द किया जाना

- (क) यदि कोई लाईन क्लियर प्राप्त कर लिया गया हो तथा बाद में यह मालूम हो कि जिस गाड़ी के लिए लाईन क्लियर लिया गया है उसे किसी कारणवश रोके रखना है तो निम्नलिखित पद्धति का अनुसरण किया जाए:

- (i) यदि एसएसएस को नहीं लिया हो तो एसएसएलएसएस को क्लियर न करें.
- (ii) यदि एसएसएस को लिया गया हो तो इसे आवश्यक रूप 'ऑन' की स्थिति में लाया जाए तथा उस गाड़ी के ड्राइवर को जिसके लिए एलएसएस टेकेन ऑफ किया गया है, को एसएम उस गाड़ी को जिसके लिए एलएसएस क्लियर को रद्द करने की सूचना देंगे.

'लाईन क्लियर' को रद्द करने के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाया जाए:

'एक्स' स्टेशन(सेडिंग)		'वाई' स्टेशन(रिसिविंग)	
1.	ब्लॉक पैनल दर्शाता है 'ट्रेन गोइंग टू' हरा संकेत	1.	ब्लॉक पैनल दर्शाता है 'ट्रेन कर्मिंग फ्राम' हरा संकेत
2.	देता है 'कॉल' अटेंशन/अटेंड	2.	कॉल अटेंशन प्राप्त करने की पावती दे.

टेलिफोन सिगनल		टेलिफोन सिगनल	
4.	टेलिफोन अटेंड करें.	4.	टेलिफोन अटेंड करें.
5.	सूचित करें कि वह गाड़ी जिसके लिए लाईन क्लियर प्राप्त किया गया है उसे डिटेंड किया जा रहा है. इसके एवज में वह एक प्राइवेट नंबर देखें	6.	प्राप्त करेंगे तथा प्राइवेट नंबर देकर अपनी सहमति प्रदान करेंगे. एलसीबी चाभी को निकाल लेंगे तथा एसएस चाभी को 'इन' करके बेल पुश बटन को लगातार दबाएंगे.
7.	'ट्रेन गोइंग टू' पर ब्लॉक पैनल संकेत गायब हो जाएगा तथा 'लाईन बंद है' पर पीला संकेत उभर जाएगा.	8.	'ट्रेन कर्मिंग फ्राम' पर ब्लॉक पैनल में हरा संकेत गायब हो जाएगा तथा 'लाईन बंद है' पर पीला संकेत उभर जाएगा.
		9.	एलसीबी चाभी को धुसाकर धुमाया जाएगा.

टिप्पणी: अगली गाड़ी को पारा 3ए.17 के अनुसार नियमित पद्धति का अनुसरण करते हुए अब भेजा जा सकता है.

- (ख) जहां लाईन क्लियर को प्राप्त कर लिया गया हो तथा ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को भेजा भी जा चुका हो इसके बाद यह पता चलता है कि गाड़ी को वापस उस स्टेशन पर लाना है जहां से वह खुली थी तो निम्नलिखित पद्धति को आवश्यक से पालन करना होगा.

'एक्स' स्टेशन(सेडिंग)		'वाई' स्टेशन(रिसिविंग)	
1.	ब्लॉक पैनल दर्शाता है 'ट्रेन ऑन लाईन' लाल संकेत.	1.	ब्लॉक पैनल दर्शाता है 'ट्रेन ऑन लाईन' लाल संकेत.
2.	देता है कॉल ध्यानाकर्षण/अटेंड टेलिफोन सिगनल.	3.	कॉल ध्यानाकर्षण/अटेंड टेलिफोन सिगनल की पावती स्वीकृति देंगे.
4.	अटेंड टेलिफोन.	4.	अटेंड टेलिफोन.

5.	यह सूचित करेंगे कि वह गाड़ी जो स्टेशन से खुली थी, वह इसी स्टेशन पर वापस हो गई है. पूरा करें, इसको अपने प्राइवेट नंबर से पुष्टि करें.	6.	प्राइवेट नंबर देकर इसकी पावती स्वीकृति करें.
7.	'ट्रेन ऑन लाईन' लाल संकेत अब भी रहेगा(जैसा कि उपर 1 में है)	7.	'ट्रेन ऑन लाईन' लाल संकेत अब भी रहेगा(जैसा कि उपर 1 में है)
8.	'लाईन फ्री' ब्लॉक पैनल पर हरा संकेत उभरेगा.	8.	'लाईन फ्री' ब्लॉक पैनल पर हरा संकेत उभरेगा.

टिप्पणी: निम्नलिखित गाड़ियां 'पेपर क्लियर' पर कार्य करेंगी. कथित गाड़ी के स्टेशन इन एडवांस में आगमन के बाद. 'ट्रेन ऑन लाईन' गायब हो जाएगा तथा 'लाईन बंद' का पीला संकेत दोनों ही स्टेशनों उभर जाएगा एवं इसके बाद की गाड़ियां सामान्य तरीके से चलेगी.

(ग) जब स्टेशन इन एडवांस 'लाईन क्लियर' को रद्द करना चाहे तो वह अवश्य (आपातकालिन परिस्थितियों में जब अबस्ट्रैक्शन डेंजर सिगनल का प्रयोग करना हो, को छोड़कर) पिछे के स्टेशन को टेलिफोन से सूचित करेंगे तथा जब पिछे का स्टेशन सहमत हो तो ही वे ऐसा कर सकेंगे. रद्दगी को पारा 3ए.23(ए) के उल्लेख के अनुसार ही किया जाना चाहिए.

3ए.23 टिप्पणी: एसएम/एएसएम/केबिन मास्टर द्वारा जब भी कोई भी उपर्युक्त गतिविधियां करनी हो वह एस अपने ड्यूटीरत स्टेशन मास्टर तथा सेक्शन कंट्रोलर के अनुमति के बगैर नहीं कर सकते हैं.

3ए.24 आगे बढ़ने के लिए ड्राइवर का प्राधिकार-

(i) दोहरी लाईन सेक्शन में ड्राइवर अपने गाड़ी को तब तक ब्लॉक स्टेशन में नहीं ले जा सकता है जब तक कि जीआर 14.08 में यथा उल्लेखित उनके अंतर्गत पड़ने वाला अंतिम स्टॉप सिगनल को 'आफ' में लिया गया हो.

(ii) जब 'ब्लॉक पैनल' काम कर रहा हो तथा एलएसएस असफल हो गया हो.

यदि ब्लॉक पैनल सामान्य कार्य स्थिति में है किंतु केवल अंतिम स्टॉप सिगनल के असफलता का मामला हो तो ब्लॉक पैनल पर लाईन क्लियर क्रियाकलाप स्वतः ही होता रहेगा तथा फार्म टी 369(3बी) फार्म पर स्टेशन मास्टर के इस पृष्ठांकन के साथ कि ब्लॉक पैनल पर लाईन क्लियर प्राप्त कर लिया गया है तथा ब्लॉक स्टेशन इन एडवांस से प्राइवेट नंबर प्राप्त कर लिया गया है, के लिखित आदेश ड्राइवर को आने बढ़ने का प्राधिकार प्रदान करता है.

(iii) **ब्लॉक पैनल की असफलता की स्थिति में-**

यदि ब्लॉक पैनल की असफलता की स्थिति हो तथा इस पर लाईन क्लियर प्राप्त नहीं किया जा रहा हो तो एसआर 14.13 के उल्लेख के अनुसार बिजली के कम्प्यूनिकेशन के माध्यम से आइडेनटिफिकेशन शीट का प्रयोग कर लाईन प्राप्त कर लिए जाए.

3ए.25. **ब्लॉक फारवर्ड**

- (क) वह स्टेशन मास्टर जो लाईन को ब्लॉक फारवर्ड करना चाहता है अपने प्राइवेट नंबर के आधार के साथ ब्लॉक टेलिफोन से स्टेशन इन एडवांस के स्टेशन मास्टर को इसको सूचित करेंगे तथा उनसे ब्लॉक फारवर्ड करने की अनुमति मांगेंगे जो इस संवाद को प्राप्ति स्वीकृति देंगे तथा एक प्राइवेट नंबर के आधार के साथ अनुमति प्रदान करें. एसएम इन एडवांस एलसीबी चाभी को निकाल लेंगे तथा सुरक्षित संरक्षण में रखेंगे. ड्राइवर को शंटिंग के लिए ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए फार्म टी/806 में शंटिंग प्राधिकार दिया जाएगा. शंटिंग पूरा हो जाने के बाद स्टेशन मास्टर एक प्राइवेट नंबर के आधार के साथ स्टेशन मास्टर इन एडवांस के स्टेशन मास्टर को शंटिंग पूरा होने की सूचना देंगे जिसे स्टेशन मास्टर इन एडवांस के स्टेशन मास्टर द्वारा एक प्राइवेट नंबर के साथ प्राप्त स्वीकृति दिया जाएगा.

शंटिंग पूरा हाने के बाद स्टेशन मास्टर इन एडवांस के स्टेशन मास्टर पैनल के एलसीबी चाभी को सुरक्षित करेंगे.

- (ख) टीएसआर में सभी प्रविष्टियां लाल स्वाही से किए जाएंगे. प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति कॉलम में ब्लॉक फारवर्ड किए जाने का कारण रिकार्ड किए जाएंगे.

‘एक्स’ स्टेशन		‘वाई’ स्टेशन	
1.	ब्लॉक पैनल दर्शाता है ‘लाईन बंद ‘ पीला संकेत.	1.	ब्लॉक पैनल दर्शाता है ‘लाईन बंद ‘ पीला संकेत.
2.	एसएम चाभी धुसाएं तथा धुमाए एवं कॉल अटेंशन सिगनल देता है.	3.	एसएम चाभी धुसाएं तथा धुमाए एवं कॉल प्राप्ति स्वीकृति देता है.
4.	टेलीफोन पकड़ता है.	4.	टेलीफोन पकड़ता है.
5.	ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के इरादे की सूचना देता है तथा प्राइवेट नंबर देता है.	6.	प्राप्ति स्वीकृति देता है तथा एससीबी चाभी को निकालकर अपने व्यक्तिगत सुरक्षित संरक्षण में रखता है.
7.	टी/806 तैयार करता है तथा इसे ड्राइवर के पास भेजता है. जब ब्लॉक सेक्शन में संचलन होने लगता है तब बजर बजने लगता है जो ‘टीजीटीएफ’ पुश बटन को दबाने के बाद शांत होता है. लाईन अकुपाईड का लाल संकेत उभरता है.	8.	बजरे बजने लगता है जो ‘टीसीएफएफ’ पुश बटन दबाने से शांत होता है. लाईन अकुपाईड का लाल संकेत उभरता है.
9.	जब शंटिंग पूरा हो गया हो तथा गाड़ी ब्लॉक सेक्शन से निकल गई हो तो बजर बजेगा जो ‘टीजीटीएफ’ के पुश बटन को दबाने पर शांत होगा.	10.	जब बजर है तो ‘टीजीटीएफ’ के पुश बटन को दबाने पर शांत होगा.
11.	‘लाईन अकुपाईड’ के लाल संकेत गायब तथा ‘लाईन फ्री’ के पीला संकेत उभरता है.	11.	‘लाईन अकुपाईड’ के लाल संकेत गायब तथा ‘लाईन फ्री’ के पीला संकेत उभरता है.
12.	‘कॉल ध्यानाकर्षण’ सिगनल देता है तथा टेलीफोन पकड़ता है.	13.	‘कॉल ध्यानाकर्षण’ सिगनल की प्राप्ति स्वीकृति देता है तथा टेलीफोन पकड़ता है.
14.	प्राइवेट नंबर के आधार के साथ सूचित करता है कि शंटिंग पूरा हो गया है.	15.	प्राइवेट नंबर के आधार के साथ प्राप्ति स्वीकृति देता है तथा एससीबी चाभी को संरक्षित करता है.

3ए.26. ब्लॉक बैक

- (क) स्टेशन मास्टर जो लाईन को ब्लॉक बैक करना चाहता है वह पिछे के स्टेशन के स्टेशन मास्टर से टेलीफोन पर ब्लॉक बैक के लिए उनकी स्वीकृति मांगेगा जो इस संदेश की प्राप्ति स्वीकृति देगा तथा प्राइवेट नंबर के आधार के साथ इसकी स्वीकृति देगा. एलसीबी यात्री को शंटिंग करने को इच्छा रखने वाले एसएम द्वारा

निकाल लिय जाएगा तथा यह एसएम के व्यक्तिगत संरक्षण रखा जाएगा. तब एसएम विनिर्दिष्ट शंटिंग ओदश फार्म सं. टी/806 पर ड्राइवर को ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए आवश्यक मेमो देकर प्राधिकार देगा.

- (ख) शंटिंग पूरा हो जाने के पश्चात् एलसीबी चाभी ब्लॉक पैनल में संरक्षित होगा. तब एसएम पिछे के स्टेशन के स्टेशन मास्टर को एक प्राइवेट नंबर के आधार के साथ शंटिंग पूरा होने की सूचना देगा जिसे पिछे के स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा एक प्राइवेट नंबर के आधार के साथ प्राप्ति स्वीकृति दिया जाएगा.
- (ग) टीएसआर में सभी प्रविष्टियां लाल स्याही से की जाएंगी. ब्लॉक पैनल के कारण को प्रविष्टि के सामने के अभ्युक्ति कॉलम में अवश्य रिकार्ड किया जाए.
- (घ) ब्लॉक बैक के लिए ब्लॉक पैनल निम्नलिखित कार्य को किया जाना है(गलत लाईन पर 'वाई' की तरफ स्टेशन 'एक्स' पर शंटिंग कार्य का किया जाना)

'एक्स' स्टेशन		'वाई' स्टेशन	
1.	'लाईन क्लोज्ड' पर ब्लॉक पैनल पीला संकेत दर्शाता है.	1.	'लाईन क्लोज्ड' पर ब्लॉक पैनल पीला संकेत दर्शाता है.
2.	एसएम चाभी धुसाएं तथा धुमाए एवं कॉल ध्यानाकर्षण सिगनल देना.	3.	एसएम चाभी धुसाएं तथा धुमाए एवं 'कॉल ध्यानाकर्षण' सिगनल पावती देना.
4.	टेलीफोन पकड़ता.	4.	टेलीफोन पकड़ता.
5.	गलत लाईन पर ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग कार्य करने का इरादा जताना.	6.	पावती देना तथा प्राइवेट नंबर देकर सहमति देना.
7.	एलसीबी चाभी को निकाल लेना तथा इसे अपने व्यक्तिगत संरक्षण में रखना. ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग कार्य करने के लिए ड्राइवर को टी/806 जारी करना.		
8.	जब ब्लॉक सेक्शन में संचलन होता है तो बजर बजने लगता है जो 'टीसीएफएफ' पुश बटन के दबाने पर ही शांत होता है. 'लाईन अकुपाईड' पर लाल संकेत गायब तथा 'लाईन फ्री' पर हरा संकेत उभरता है.	9.	बजर बजते रहता है जो 'टीसीटीएफ' पुश बटन को दबाने पर शांत होता है. 'लाईन अकुपाईड' पर लाल संकेत उभरता है.
10.	जब शंटिंग ट्रेन ब्लॉक सेक्शन से गुजर जाती है तब बजर बजता है जो 'टीसीएफएफ' पुश बटन के दबाने पर शांत होता है. 'लाईन अकुपाईड' पर लाल संकेत गायब तथा 'लाईन फ्री' पर हरा संकेत उभरता है.	11.	जब बजर रहता है तो 'टीजीटीएफ' के पुश बटन को दबाने पर शांत होता है. 'लाईन अकुपाईड' पर लाल संकेत गायब तथा 'लाईन फ्री' पर हरा संकेत उभरता है.
12.	एसएम चाभी को संरक्षित किया जाता है तथा 'कॉल ध्यानाकर्षण' सिगनल दिया जाता है.	13.	पावती देता है तथा टेलीफोन पकड़ता है.
14.	प्राइवेट नंबर के आधार के साथ शंटिंग हो जाने की सूचना देता है.	15.	प्राइवेट नंबर के आधार के साथ प्राप्ति स्वीकृति देता है.

भाग -IV

ब्लॉक असफलता

3ए.27 ब्लॉक असफलता:

ब्लॉक असफलता को निम्नलिखित कोटि में रखा जा सकता है.

- (ए) ब्लॉक पैनल की असफलता.
- (बी) लास्ट स्टॉप सिगनल की असफलता.
- (ए) ब्लॉक पैनल की असफलता:
निम्नलिखित स्थितियों में ब्लॉक पैनल को अप तथा/या डाउन गाड़ियों के लिए, जैसा भी मामला हो, दोषपूर्ण समझा जाएगा:
- (i) ब्लॉक पैनल पर जब शार्ट के लिए कोई संकेत नहीं उभरता हो.
- (ii) जब 'लाईन फ्री' या 'लाईन अकुपाईड' को छोड़कर ब्लॉक पैनल 'लाईन फ्री' या 'लाईन अकुपाईड' पैनल ट्रेन

- कर्मिंग फ्राम/ट्रेन गोइंगटू नहीं उभरता हो.
- (iii) जब कोई गाड़ी ने ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश नहीं किया हो फिर भी ब्लॉक पैनल लाल संकेत से 'लाईन अकुपाईड' दर्शाता किए गए, के बाद भी मौजूद रहे.
 - (iv) 'लाईन क्लियर' मांगने तथा एप्रोच के अनुमति प्रदान करने की परिस्थितियां मौजूद रहने के बाद भी जब 'ट्रेन गोइंग टू' अथवा 'ट्रेन कर्मिंग फ्राम' के संकेत उपयुक्त संकेत से प्राप्त न हो रहे हो.
 - (v) जब 'ट्रेन ऑन लाईन' संकेत ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश पर भी किसी स्टेशन पर न उभरता हो.
 - (vi) जब कोई गाड़ी रिसिविंग स्टेशन में आ गई हो किंतु ब्लॉक पैनल तब भी 'ट्रेन ऑन लाईन' संकेत दर्शाता हो तथा/या 'लाईन अकुपाईड' भी दिखाता हो:
लाल संकेत तथा पारा 3ए.22 के अनुसार रिसेटिंग के प्रयास किए गए हो, के पश्चात भी यह संकेत मौजूद रहे.
 - (vii) पूरी तरह से संचार असफलता होने के दौरान रेलवे के प्रभावी वर्तमान नियमों के अनुसार गाड़ियां काम कर रही हो.
 - (viii) यदि ब्लॉक उपकरण यथा ब्लॉक पैनल, एक्सल काउंटर, ट्रैक डिवाइस, काउंटर उपकरण तथा ब्लॉक मल्टिप्लेक्सर उपकरण आदि के कोई क्षतिग्रस्त होने को देखा जाए या सूचना प्राप्त हो.
 - (ix) जब लॉस्ट स्टॉप सिगनल को उसके ससपेंशन/डिसकनेक्शन के दौरान 'आन' पर लाना संभव न हो.
 - (x) जब स्टेशन के लॉस्ट स्टॉप सिगनल को सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश के बाद भी 'ऑन' पोजिशन पर वापस न जाता हो.
 - (xi) जब बेल कोड सिगनल अस्पष्ट प्राप्त हो रही हो.

नोट (i) उपर्युक्त सभी मामलों में ब्लॉक पैनल को दोषपूर्ण ब्लॉक वर्किंग ससपेक्ट माना जाए तथा गाड़ियों को जीआर 14.13 एवं एसआर के निम्नलिखित व्यवस्था में उपलब्ध कराए गए बिजली संचार उपकरणों पर लाईन क्लियर प्राप्त कर संचालित किए जाए.

(ii) उपर्युक्त पारा के मद सं. (vii) में दर्शाए गए असफलता के संदर्भ में गाड़ियों को जीआर-14.13 एवं एसआर में उल्लेख के अनुसार वर्तमान नियमों के अंतर्गत संचालित किए जाए.

(iii) उपर्युक्त पारा (ए) के मद सं. (v) (ix) एवं (x) में उल्लेखित असफलता के मामलों में एलएसएस को 'ऑन' पोजिशन में रखते के लिए हर तरह के प्रयास किए जाएं. यदि यह संभव न हो तो अप्रोच ट्रेन के ड्राइवरों को अगाह करने के लिए एलएसएस के तले में लाल हाथ सिगनल लिए हुए खड़े रहने हेतु सक्षम रेलवे कर्मचारी को नियुक्त किया जाए. इसका अलावा संबंध दिशा की सभी गाड़ियों को होम सिगनल पर रोका जाए तथा आवश्यक हो तो वे रुक गई हैं. होम सिगनल को कॉशन मामलों में ही क्लियर किया जाए. स्टार्टर को टेकेन ऑफ न किया जाए तथा गाड़ी को स्टार्टर एवं एलएसएस से गुजारने के लिए आवश्यक प्राधिकार जारी किए जाए. एलएसएस के दोष पूर्ण हाने के बारे में ड्राइवर के लिए भी कॉशन आदेश जारी किए जाएं.

(iv) जब तक सक्षम सिगनलिंग कर्मचारी द्वारा जांच न किए जांच तथा उनके द्वारा व्यवहार के लिए उपर्युक्त का प्रमाण-पत्र न जारी किए जाएं तब तक ब्लॉक पैनल को सामान्य क्रियाकलाप के लिए पुनर्बहाल न किए जाएं.

(बी) लास्ट स्टॉप सिगनल की असफलता:

निम्नलिखित मामलों में अप या डाउन दिशा में जैसा भी मामला हो, लास्ट स्टॉप सिगनल को असफल होना समझा जाए-

- (i) लाईन क्लियर प्राप्त करने के बावजूद भी लास्ट स्टॉप सिगनल को टेकेन ऑफ न किया जाए.
 - (ii) बगैर लाईन क्लियर प्राप्त किए लास्ट स्टॉप सिगनल को क्लियर किए जा सकते हैं.
 - (iii) लास्ट स्टॉप सिगनल को गाड़ी के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के बाद 'ऑन' पोजिशन में रिस्टोर नहीं रहता.
- उपर्युक्त पारा (क) तथा (ख) के सभी मामलों में सिगनल एवं टेलिकोम के कर्मचारी को असफलता की सूचना तुरंत दी

जाए.

नोट: उपर्युक्त पारा (बी) (ii) एवं (iii) के मामलों के संदर्भ में ब्लॉक पैनलों के असफलता मामलों के डिलिंग संबंध में पारा 3.27(ए) के अंतर्गत (ii) एवं (iv) में उल्लेखित सावधानियों को कड़ाई से पालन किया जाए.

3ए.28 ब्लॉक वर्किंग का निलंबन:

ब्लॉक वर्किंग का आवश्यक रूप से निलंबित रखा जाए तथा निम्नलिखित मामलों में गाड़ियों को वर्तमान अनुदेशों के अनुसार संचालित किए जाए-

(ए) ब्लॉक पैनल का निलंबन:

निम्नलिखित मामलों में ब्लॉक पैनल को अक्रियाशील माना जाए तथा निलंबित रखा जाए-

- (i) जब मेटेरियल लॉरियाँ, मोटर ट्रॉलिया, टाई टेम्परिंग मशीनें तथा रेल मोटर/टावर वैगन(चार पहिया) को इस सेक्शन में चलाना हो तो यह कॉशन आदेश के साथ ही चलेंगी.
- (ii) असमान्य संचलन अर्थात डबल लाईन या मिड सेक्शन दुर्घटनाओं आदि पर सिंगल लाईन पर काम होना.
- (iii) केवल संबद्धित दिशा के साथ ब्लॉक बैक/ब्लॉक फारवर्ड.
- (iv) रिसिविंग स्टेशन पर जब सिगनल रहित प्रापण रिस्टोर किया जाए.
- (v) जब रिपेयर(मरम्मत) के लिए ब्लॉक उपकरण के किसी पार्ट को खोला जाए तो इसे स्वीकार्य डिसकनेक्शन सूचना के अंतर्गत की किए जाएं. रेलवे के वर्तमान नियमों के अनुसार ही ब्लॉक पैनल को पुनः कार्यशील किया जाए.

(ख) लास्ट स्टॉप सिगनल का निलंबन:

निम्नलिखित मामलों में स्टॉप सिगनल को अक्रियाशील माना जाए तथा इसे निलंबित समझा जाए-

- (i) जब लास्ट स्टॉप सिगनल को एसएंडटी कर्मचारियों द्वारा मरम्मत के लिए हाथ में लिया जाए.
- (ii) ब्लॉक फारवर्ड के दौरान केवल.
- (iii) किसी आपातकालिन अवस्था जैसे कि मिड सेक्शन दुर्घटना के कारण डबल लाईन सेक्शन पर सिंगल लाईन वर्किंग के दौरान.
- (iv) जब इस सेक्शन में किसी मेटेरियल लॉरियाँ/ट्रालिया, टाई-टेम्परिंग मशीनों या टावर वैगन को चलाना हो.

नोट: उपर पारा (क) एवं (ख) में सूचीबद्ध मामलों के संदर्भ में जैसे की ब्लॉक वर्किंग के कारण हटाया जाता हो वैसे ही एसएम द्वारा सामान्य वर्किंग बहाल किया जा सकता है.

3ए.29. जब ब्लॉक पैनल असफल हो तो गाड़ियों का संचालन:

जब भी ब्लॉक पैनल असफल हो जाए तब लाईन क्लियर को बिजली संचार उपकरण से जीआर-14.13 का अनुसरण करते हुए प्राप्त किया जाए.

यदि ब्लॉक वर्किंग को ब्लॉक पैनल पर संचालित किया जाए किंतु एसएसएस को टेकेन ऑफ न किया जाए तब लाईन क्लियर को ब्लॉक पैनल पर प्राप्त किया जाए परंतु ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश हेतु प्राधिकार के रूप में कॉशन आदेश जारी किया जाएं.

3ए.30. लॉरियों एवं मोटर ट्रॉलियों का चलना:

सभी लाईट वेहिकल एवं हैवी मेटेरियल ट्रालियाँ, ब्लॉक बैक या ब्लॉक फारवर्ड पर चलेंगी.

- (2) कृपया निम्नलिखित पारा को बीडब्ल्यूएम/के , दिनांक 26.10.2006 के ए/सी2 के मद संख्या. (बी)(vi) एवं 2बी(vi) के पश्चात इन्सर्ट करें.(पुनर्मुद्रित 2004).

यदि वर्किंग ट्रेन ऑन पीएसी वर्किंग इन्ट्रोडक्शन के 24 अवधि से ज्यादा हो जाए तो 30 कि.मी.प्रति घंटा के गति निर्बंधन को अलग से लगा दिया जाए. (प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2005/सेफ्टी(एएंडआर)/19/16, दिनांक 16.10.2007)

Sd/-

(के.के.श्रीवास्तव)

मुख्य परिचालन प्रबंधक

कोलकाता,

दिनांक- 13.02.2008.

पूर्व रेलवे
कोलकाता

ब्लॉक संचालन नियमावली का 5वाँ परिशिष्ट एवं शुद्धि-पत्र (पुनः मुद्रित 2004)

निम्नलिखित अध्याय VIII पार्ट –सी के रूप में माना जाएगा और ब्लॉक संचालन नियमावली (पुनः प्रकाशित 2004) के अध्याय VIII पार्ट –बी के बाद स्थान दिया जाएगा।

अध्याय - VIII

पार्ट –सी : ब्लॉक पैनल के साथ एक्सल काउन्टर के द्वारा सिंगल लाइन पर ट्रेनों के संचालन के लिए नियम

1. आगे, सामने

सिंगल लाइन के लिए एक्सल काउन्टर के द्वारा ब्लॉक प्रुविंग का उपयोग करके ब्लॉक पैनल का संचालन पूर्व रेलवे के सामान्य एवं सहायक नियमों (परिशोधित एवं पुनः मुद्रित 2003) और ब्लॉक संचालन नियमावली – सिंगल लाइन के साथ अवश्य पढ़ा जाए। सामान्य एवं सहायक नियमों के ब्लॉक पैनल वर्किंग प्रावधानों के लिए स्पष्टीकरण यहाँ दिए गए हैं, वे अनुल्लंघनीय हैं।

2. ब्लॉक पैनल का संक्षिप्त विवरण और इसकी विशेषताएं :

ब्लॉक पैनल जिसका अर्थ है पैनल एक्सल काउन्टर और अन्य उपस्कर के साथ संबंध है जो नियंत्रित करता है, आज्ञा देता है, संकेत देता है और ब्लॉक सेक्शन में ट्रेनों के परिचालन के लिए सूचना उपलब्ध कराता है। सिंगल लाइन सेक्शन के लिए ब्लॉक पैनल ऑपरेटेड एक्सल काउन्टर ब्लॉक सिस्टम, एक्सल काउन्टर के साधन द्वारा ब्लॉक सेक्शन के ट्रेन 'इन' और 'आउट' के संचालन की जांच करता है। सिस्टम स्वचालित रूप से प्राप्ति स्टेशन में ट्रेन के पूरी तरह पहुँच जाने की जांच करता है। सिस्टम लाइन क्लियर प्राप्त करने के लिए भेजने वाले छोर से ट्रेन जा रही है। (टीजीटी) की अवधारणा का उपयोग करता है। यदि सभी परिस्थितियाँ लाइन क्लियर स्वीकृत करने के लिए प्राप्ति छोर पर उपलब्ध है तब 'ट्रेन कर्मिंग फ्राम' (टीसीएफ) स्वचालित रूप से आ जाता है। 'ट्रेन ऑन लाइन' (टीओएल) और 'लाइन क्लोज्ड' (एलसी) परिस्थिति ब्लॉक पैनल पर स्वचालित रूप से ब्लॉक पैनल पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ब्लॉक पैनल दो प्रकार के होते हैं। (1) इवैल्यूएटर के बिना स्टेशन पर पैनल डीआरजी नं. आर डी एस ओ/एस 32010/002/011) और (2) स्टेशन पर पैनल जहाँ इवैल्यूएटर भी हाउस है (डीआरजी नं. आरडीएसओ/एस32010/003/011) ये दो पैनल रीसेट चाभी, काउन्टर एवं पैनल पर रीसेट को-ऑपरेशन बटन के प्रावधान के संदर्भ में अंतर रखता है। पैनलों पर उनकी उपलब्धता निम्नलिखित है।

चाभी/बटन/काउन्टर	उपलब्ध	
	पैनल डीआरजी सं. आरडीएसओ/एस 32010/002/011	पैनल डीआरजी सं. आरडीएसओ/एस 32010/003/011
रीसेट चाभी	नहीं	हाँ
रीसेट काउन्टर	नहीं	हाँ
रीसेट कॉपरेशन बटन	हाँ	नहीं

3. संचालन के सिद्धांत-

- ट्रेन संचालन के एबसोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के आधार पर संचालित होते हैं।
- ब्लॉक सेक्शन आम्कूपेशन और क्लियरेंस सत्यापन करने के लिए एक्सल काउन्टर के साथ उपलब्ध है।
- जबतक लाइन क्लियर प्राप्त नहीं कर लिया जाता तबतक अंतिम स्टॉप सिगनल को टेक ऑफ करना संभव नहीं होगा।

- iv) यदि ट्रेन उसी दिशा में चल रही है, जबतक लाइन क्लियर नहीं रहता है तबतक लाइन क्लियर प्राप्त करना संभव नहीं होगा, न केवल प्रथम स्टॉप सिगनल तक ब्लॉक स्टेशन में जिसमें इस प्रकार का लाइन क्लियर दिया जाता है लेकिन पर्याप्त दूरी तक के लिए और ब्लॉक स्टेशन की ओर दिशा में चल रही ट्रेनों से क्लियर है।
- v) अंतिम स्टॉप सिगनल ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के प्रवेश करने पर ऑन कर दिया जाता है। ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के प्रवेश करने का संकेत देते हुए स्टेशनों के ब्लॉक पैनल पर टीओएल संकेत दिखाई देने का यह कारण होगा। अंतिम स्टॉप सिगनल ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के प्रवेश करने पर ऑन कर दिया जाएगा और उसी पोजीशन में तबतक रखा जाएगा जबतक ब्लॉक पैनल पर एक फ्रेश लाइन क्लियर प्राप्त नहीं कर लिया जाता।
- vi) प्राप्ति स्टेशन पर ट्रेन के पूरी तरह पहुंच जाने पर ब्लॉक सेक्शन स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।
- vii) पूरी तरह प्राप्त किए गए लाइन क्लियर को रद्द करने के लिए ब्लॉक पैनल पर एक को-ऑपरेटिव कंट्रोल उपलब्ध है।
- viii) एक्सल काउंटर की रीसेटिंग के लिए एक को-ऑपरेटिव कंट्रोल उपलब्ध है।

4. ब्लॉक पैनल का विरण - ड्रग नं.आर डी एस ओ/एस 32010/011 दो पार्श्वस्थ स्टेशनों ए और बी पर ब्लॉक पैनल पुन प्रस्तुत करेंगे। जो ए और बी के बीच में ब्लॉक सेक्शन पर ट्रेन के मूवमेंट को संचालित करेंगे। दो ब्लॉक पैनल का एक सेट और उनके आवश्यक उपकरण जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित है, एक जोड़ी के रूप में उपयोग किया जाएगा, एक स्टेशन ए में और अन्य स्टेशन बी में। टेलिफोन संचार ब्लॉक पैनलों के साथ उपलब्ध है। निम्नलिखित ब्लॉक पैनल के विभिन्न पार्ट है और उनके कार्य

i) पुरा बटन (नन लॉकिंग टाइप)

पुश बटन	कार्य
बेल घंटी	ब्लॉक सेक्शन के अन्य छोर पर स्टेशन को प्रसारण करने के लिए बेल कोड लाइन क्लियर प्राप्त करने के लिए जब ट्रेन गो बटन के साथ दबाया जाए लाइन क्लियर रद्द करने के लिए जब कैसी बटन के साथ दबाया जाए
ट्रेन जा रही है	भेजने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर बेल बटन के साथ इसे परिचालित करेंगे। ट्रेन गोइंग टू कंडीशन को यह भेजने वाला ब्लॉक पैनल ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम कंडीशन तक ग्रीन टीजीटी इस कंडीशन ब्लॉक पैनल को संकेत करता है।
कैसील रद्द करना	लाइन क्लियर कंडीशन को रद्द नहीं करने के लिए बेल बटन के साथ इसे परिचालित किया जाए, यदि ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश नहीं किया है अथवा ट्रेन को स्टेशन वापस पुश बैक कर दिए जाने के बाद, स्टेशन मास्टर रद्द करने के ऑपरेशन के दौरान ट्रेन प्राप्ति स्टेशन पर

पुश बटन	कार्य
एसीकेएन	सेक्शन ऑकूपाइड है अथवा सेक्शन फ्री कंडीशन में है यह सूचित करने के लिए इसे परिचालित किया जाता है। यह सेक्शन ऑकूपाइड/फ्री बज़र को शांत कर देता है।
एक्सल काउंटर रीसेट को ऑपन कैसील को-ऑप	एक स्टेशन से को-ऑपरेशन बढ़ाने के लिए इसे परिचालित किया जाता है जहाँ एक्सल काउंटर का इवैल्यूएटर एक्सल काउंटर की रीसेटिंग के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह ट्रेन प्राप्त करने वाले स्टेशन को कैसील को-ऑपरेशन बढ़ाने के लिए ट्रेन भेजने वाले स्टेशन के द्वारा परिचालित किया जाता है।
शंट बटन	शंट चाभी को निकालने के लिए यह परिचालित किया जाता है।

(ii) चाभियाँ –

चाभियाँ	कार्य
एसएम की (चाभी)	जब निम्नलिखित ऑपरेशन निवारण करने के लिए किए जाते हैं, उस समय उपयोग की जाने वाली चाभी ए) बेल कोड का प्रसारण

	बी) लाइन क्लियर इन्क्वायरी कोड का प्रसारण सी) एक्सल काउंटर की रीसेटिंग डी) शंट चाभी का रिलीज
एक्सल काउंटर रीसेट चाभी	एक्सल काउंटर रीसेट चाभी जहाँ उपलब्ध है। जब दबाया जाता है एक्सल काउंटर सेट हो जाता है, प्रदत्त रीसेट को-ऑपरेशन अन्य स्टेशन से उपलब्ध है।
मेनटेनर बैक कवर लॉक चाभी	अनुरक्षण के उद्देश्य से ब्लॉक पैनल के पीछे में एक ताला उपलब्ध है।
स्टेशन मास्टर का बैक कवर ताला	दोहरे ताला व्यवस्था के लिए ब्लॉक पैनल के पीछे एक ताला उपलब्ध है जो चाभी के द्वारा परिचालित की जा सकती है और वह चाभी स्टेशन मास्टर की अभिरक्षा में रखी हुई है।
शंट चाभी	यह चाभी शंटिंग ऑपरेशन का पलन करने के लिए उपलब्ध है।
कैच/स्लिप साइडिंग	यह चाभी मांग करने पर कैच/स्लिप साइडिंग ऑपरेशन पालन करने के लिए उपलब्ध है।

(iii) संकेतक:

संकेत देने वाले	कार्य
लाइन क्लोज्ड	इसका आकार गोल/रेक्टेंगुलर है और श्वेत/पीला एलईडी के साथ उपलब्ध है। जब चमकदार रोशनी संकेत करता है कि सेक्शन वाहनों से मुक्त है और लाइन क्लियर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
ट्रेन से आ रही है ग्रीन (टीसीएफ) फ्लैशिंग ग्रीन रेड	स्टेशन में आते हुए ट्रेफिक के लिए इसका आकार तीर के शीर्ष प्वाइंटिंग डाउनवार्ड है और टीसीएफ नामक एक रेक्टेंगुलर इंडिकेशन हरा/लाल एलईडी के साथ उपलब्ध है। जब हरा लाइट 'स्थिर' है तब यह संकेत देता है कि ट्रेन कंडीशन से आ रही है। जब हरा लाइट चमक रहा है तब यह संकेत देता है ए) ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के प्रवेश करने के पहले लाइन क्लियर वापस ले लिया गया है अथवा बी) ट्रेन के पहुंचने के बाद सेक्शन क्लियर खाली हो चुका है। लेकिन संबद्ध सिगनल एवं उनके कंट्रोल स्टेशनों पर सामान्य रूप में नहीं किए गए हैं। यह संकेतक/इंडिकेट ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के प्रवेश करने पर लाल को बदल दिया और ट्रेन ऑन लाइन 'स्थिति' का संकेत करता है।
ट्रेन जा रही है हरा (टीजीटी) चमकता हुआ हरा/लाल	स्टेशन से बाहर जाने वाले ट्रेफिक के लिए इसका आकार तीर के जैसा प्वाइंट बनाया हुआ है और टीजीटी नामक एक आयताकार संकेत है। यह हरा/लाल एलईडी के साथ उपलब्ध है। जब हरा/लाइट 'स्थिर' है, यह संकेत देता है कि ट्रेन जाने की स्थिति में है। जब हरा/लाइट चमक रहा है, यह संकेत देता है कि ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के प्रवेश करने से पहले लाइन क्लियर वापस ले लिया गया है। अथवा ट्रेन ब्लॉक सेक्शन को क्लियर कर चुका है लीनि संबद्ध सिगनल और उनके कंट्रोल स्टेशनों पर सामान्य नहीं किए गए हैं। यह संकेतक ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के प्रवेश करने पर लाल में बदल जाता है और संकेत करता है 'ट्रेन ऑन लाइन के कंडीशन'

अंतिम स्टॉप सिगनल लाल हरा	इसका आकार सिगनल का सर्कुल मोनोग्राम है। लाल संकेत जिसका अर्थ है अंतिम स्टॉप सिगनल ऑन में है और हरा संकेत जिसका अर्थ है अंतिम स्टॉप सिगनल ऑफ है।
संकेतक	कार्य
रीसेट को-ऑपरेशन पीला	इसका आकार सर्कुल है और रीसेट चाभी के नजदीक स्थापित है। जब यह संकेत देता है कि ब्लॉक मैनुअल से को-ऑपरेशन प्राप्त किया जा चुका है जहां रीसेट को-ऑपरेशन बटन उपलब्ध किया जा चुका है।
लाइन फ्री (हरा) लाइन ऑकूपाइड लाल	इसका आकार सर्कुलर/आयताकार है और इसे ए सी के एन बटन से ऊपर रखा गया है। यह हरा/लाल संकेत के साथ उपलब्ध है। हरा संकेत देता है कि लाइन वाहनों से क्लियर है और लाल संकेत देता है कि लाइन क्लियर अथवा ब्लॉक बैक के बाद लाइन ऑकूपायड है।
एस एन के ई (लोकल) (पीला)	इसका आकार सर्कुलर है। जब चमकता हुआ पीला हो, यह संकेत देता है कि एल एस एस प्रथम स्टॉप सिगनल और कंट्रोल पर सिगनल सामान्य है।
एस एन के ई (अन्य छोर) पीला	इसका आकार सर्कुल है। जब चमकदार पीला हो तब यह संकेत देता है कि एल एस एस एफ एस एस, कंट्रोल सामान्य है तथा टीसी एफ संकेत ब्लॉक सेक्शन के अन्य छोर पर स्टेशन में उपलब्ध नहीं है।
एस एम चाभी (इन) हरा	लिट संकेत देता है कि एस एम चाभी इन है और घुमाया हुआ है।
एस एच के-इन/आउट हरा/लाल	यह 2 रंगों वाला है। जब चमकदार हरा संकेत देता है शंटिंग चाभी ली नहीं गई है और जब चमकदार लाल संकेत देता है कि शंटिंग चाभी प्राप्त कर ली गई है।
ट्रेन अक्नॉलेजमेंट इन/आउट पीला	लिट ट्रेन के प्रवेश करते समय और ब्लॉक सेक्शन से बाहर निकलते समय यह तबतक चमकदार रहता है जबतक सूचना नहीं दे दी जाती।
को-ऑपरेशन टाइमर	जब रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होती है तब यह चमकने लगता है और 120 सेकेन्ड तक चमकता है।

(iv) काउंटर

काउंटर	कार्य
कैसील, रद्द	जब ट्रेन ब्लॉक ने सेक्शन में प्रवेश नहीं किया हो अथवा ट्रेन पुश बैक ऑपरेशन कर लिया हो तब लाइन क्लियर के रद्दीकरण कैसीलेशन का रिकॉर्ड यह रखता है।
रीसेट	जहां एक्सल काउंटर रीसेट चाभी उपलब्ध है वहां स्टेशन में ब्लॉक पैनल पर रीसेट काउंटर उपलब्ध है। यह एक्सल काउंटर के सफल रीसेट की संख्या का रिकॉर्ड रखता है।

(v) इंडिकेटर

बज़र	कार्य
ब्लॉक	यह ब्लॉक सेक्शन के अन्य छोर पर स्टेशन में ऑपरेटर के द्वारा भेजे गए बेल कोड के अनुसार सिगनल देता है।
सेक्शन	इसका श्रव्य सिगनल स्टेशन मास्टर को सूचना देता है कि ट्रेन ने ऑक्यूपाय कर लिया है अथवा ब्लॉक सेक्शन को क्लियर कर चुका है।

5. ब्लॉक स्टेशन से अन्य ब्लॉक स्टेशन तक सिगनलिंग ट्रेनों की प्रणाली i) एक ट्रेन को भेजने के लिए ऑपरेशनों के अनुक्रम भेजने वाले और प्राप्त करने वाले स्टेशनों पर ब्लॉक पैनल ऑपरेटर, भेजने वाले और प्राप्त करने वाले ट्रेन के लिए यहां सूचीबद्ध घटनाओं के निम्नलिखित चैन के द्वारा जाएंगे।

भेजनेवाले स्टेशन	प्राप्त करनेवाले स्टेशन
1. आश्वस्त करता है ए) लाइन क्लोज्ड इंडिकेटर चमकदार है और एस एन के ई इंडिकेटर लोकल एवं दूर छोर पर चमकदार है।	
2. एस एम की चाभी इन चमकदार है।	
3. बेल, घंटी दबाकर एटेन्ड टेलिफोन सिगनल भेजते हैं।	बेल, घंटी दबाकर चूना देते हैं और टेलिफोन एटेन्ड करते हैं।
4. टेलिफोन एटेन्ड करते हैं, उपस्थित रहते हैं, ट्रेन के सुनिश्चित संचलन के विषय में सूचना दे रहे हैं और अपने प्राइवेट नंबर के साथ अपने स्टेशन से जाने हेतु ट्रेन वास्ते लाइन क्लियर के लिए यूचित करते हैं।	5. ट्रेन संचलन के विषय में सूचना आदान-प्रदान करने के बाद आश्वस्त करते हैं:- ए) लाइन क्लोज्ड इंडिकेटर, एस एन के ई (लोकल) इंडिकेटर चमकदार हैं और प्राइवेट नम्बर के द्वारा समर्थित मौखिक लाइन क्लियर सूचित करते हैं।
6. बेल एवं ट्रेन जा रही है बटन को दबाया जाता है और दोनों बटन को दबाई हुई स्थिति में तबतक रखा जाता है जबतक ट्रेन जा रही है। हरा संकेत प्रकट नहीं हो जाता।	7. लाइन क्लोज्ड इंडिकेशन गायब हो जाता है और ट्रेन क्रमिक फॉर्म ट्रेन से आ रही है, हरा संकेत प्रकट हो जाता है।
8. लाइन क्लोज्ड इंडिकेशन गायब हो जाता है। ट्रेन जा रही है हरा संकेत पैनल पर प्रकट हो जाता है। बेल एवं ट्रेन जा रही है बटन में रिलीज कर दिया जाता है।	
9. अंतिम स्टॉप सिगनल को टेक ऑफ किया जाए ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करती है। लाइन फ्री इंडिकेटर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। सेक्शन बजर बजने लगता है और ट्रेन जा रही है संकेत पैनल पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है।	9. सेक्शन बजर बजने लगता है और ट्रेन कर्मिंग फॉर्म इंडिकेशन पैनल पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है लाइन फ्री इंडिकेटर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है।
अंतिम स्टॉप सिगनल ऑन हो जाता है।	

10. ए सी के एन बटन को दबाकर बजर सूचित करता है। अंतिम स्टॉप सिगनल को पुट बैक करता है।	10. ए सी के एन बटन को दबाकर बजर सूचित करता है।
	11. ट्रेन को प्राप्त करने के लिए अपने स्टेशन पर रिसेप्शन सिगनल को क्लियर करता है। ट्रेन होम सिगनल से गुजरता है। होम सिगनल को ऑन कर दिया जाता है। ट्रेन ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करता है, सेक्शन बजर बजने लगता है। ए सी के एन बटन को दबाकर बजर को सूचित करें।
12. लाइन फ्री इंडिकेटर हरा हो जाता है। सेक्शन बजर बजने लगता है। ट्रेन जा रही है संकेत चमकता हुआ हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। ए सी के एन बटन को दबाकर बजर सूचित करता है।	
13. ट्रेन जा रही है संकेत गायब हो जाता है। लाइन क्लोज्ड संकेत प्रकट हो जाता है।	13. नॉर्मल में ट्रेन की प्राप्ति से संबंधित सभी कंट्रोल प्रतिस्थापित किए जाएं। एस एन के ई(लोकल) संकेत प्रकट हो जाता है। ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम संकेत गायब हो जाता है लाइन क्लोज्ड संकेत प्रकट हो जाता है।

(ii) ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के प्रवेश करने से पहले लाइन क्लियर रद्द किया जाना- जब लाइन क्लियर प्राप्त किया जा चुका है और उसके बाद यह पाया गया कि ट्रेन जिसके लिए लाइन क्लियर पूरी तरह प्राप्त किया जा चुका है, किसी कारणवश रोका गया है, निम्नलिखित प्रक्रिया अवश्य अपनाई जाए।
केवल ट्रेन प्राप्त करने वाले स्टेशन, ट्रेन भेजने वाले स्टेशन से को-ऑपरेशन के साथ लाइन क्लियर रद्द किया जा सकता है।

भेजनेवाले स्टेशन	प्राप्त करनेवाले स्टेशन
ब्लॉक पैनल ट्रेन जा रही है संकेत प्रदर्शित करता है। ट्रेन भेजने वाले स्टेशन आश्वस्त करते हैं कि लाइन क्लियर कंडीशन का रद्द किया जाना उपलब्ध है। प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान करें।	ब्लॉक पैनल ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम इंडिकेशन प्रदर्शित करता है। प्राप्त करने वाले स्टेशन आश्वस्त करते हैं कि लाइन क्लियर कंडीशनों का रद्द किया जाना उपलब्ध है। प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान करें।

भेजनेवाला(सेंडिंग) स्टेशन		प्राप्त करनेवाला स्टेशन
1.(i)	यदि एलएसएस टेक'ऑफ' किया जाता है, तो इसे एलएसएस को क्लियर नहीं करेगा और इसे केवल 'ऑन' में रखेगा।	
(ii)	यदि एलएसएस पहले ही टेक'ऑफ' कर दिया जाता है, तो इसे अनिवार्यतः 'ऑन' में वापस लाया जाएगा और संबंधित एलएसएस के एसएम के स्लाइड को भी सामान्य में किया जाए। निम्नलिखित प्रक्रिया को अनिवार्यतः अपनाते हुए संबंधित लाइन क्लियर के रद्दकरण के बारे में एसएम	

	उक्त ट्रेन जिसके लिए एलएसएस को टेक 'ऑफ' किया गया है, के लोको पायलट / मोटरमैन को सूचित करेगा।	
	भेजनेवाला(सेंडिंग) स्टेशन	प्राप्त करनेवाला स्टेशन
1.	'कैंसेलेशन को-ऑपरेशन' बटन दबाएं	
2.	'ट्रेन गोईंग टू' इंडिकेशन चमकदार हरा में बदल जाता है। अंतिम स्टॉप सिगनल कंट्रोल को सामान्य में वापस किया जाता है, यदि इसे टेक ऑफ किया गया हो और एसएनकेई प्रदीप्त है, का प्रेक्षण करता है।	2. कैंसेल को-ऑपरेशन को सत्यापित करने के बाद कैंसेलेशन इंडिकेशन उनके ब्लॉक पैनल पर उपलब्ध होता है। बेल एवं कैंसेल बटनों को एक साथ दबाता है और तब रिलीज करता है। 'ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम' इंडिकेशन चमकदार हरा में बदल जाता है। दोनों स्टेशनों पर स्थित सिगनलों के सामान्य में होने अर्थात् एसएनकेई (लोकल) और एसएलकेई (अन्य छोर) प्रदीप्त है, टाइमर इंडिकेटर चमकने लगता है
		3. कैंसेल इंडिकेटर 120 सेकेंड के लिए लगातार चमकता रहता है। 120 सेकेंड समाप्त होने के बाद 'ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम' इंडिकेशन और टाइमर इंडिकेशन गायब हो जाता है। 'लाइन क्लोज्ड' इंडिकेशन प्रकट होता है।
4.	'ट्रेन गोईंग टू' इंडिकेशन गायब हो जाता है। 'लाइन क्लोज्ड' इंडिकेशन बटन प्रकट होता है।	
(iii)	ब्लॉक को बंद करने के लिए, जब कोई ट्रेन आरंभिक स्टेशन की ओर लौटता है (पुश बैक बटन) : किसी ट्रेन को भेजनेवाले(सेंडिंग) स्टेशन पर वापस लौटा दिए जाने के बाद, भेजनेवाला स्टेशन प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के अंतर्गत इसके बारे में प्राप्त करनेवाले (रिसीविंग) स्टेशन को सूचित करता है। प्राप्त करनेवाले (रिसीविंग) स्टेशन दूसरे छोर से कैंसेल को-ऑपरेशन लोने के बाद बेल और कैंसेल बटन को दबाकर सेक्शन को बंद कर सकता है।	
	भेजनेवाला(सेंडिंग) स्टेशन	प्राप्त करनेवाला स्टेशन
1.	जब ट्रेन ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करता है, तब सेक्शन बजर बजना शुरू हो जाता है। 'ट्रेन गोईंग टू' इंडिकेशन चमकदार हरा में बदल जाता है। एसीकेएन बटन को दबाकर बजर की पावती (एक्नॉलेज) देता है। सुनिश्चित किया जाए कि एसएनकेई(लोकल) इंडिकेटर जल रहा हो। विहित बेल कोड के बाद टेलीफोन पर प्राप्त करनेवाला (रिसीविंग) स्टेशन के ऑपरेटर को ब्लॉक बंद करने का निदेश दिया जाए। 'कैंसेलेशन को-ऑपरेशन' बटन दबाएं	2. जब ट्रेन ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करता है, तब सेक्शन बजर बजना शुरू हो जाता है। 'ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम' इंडिकेशन चमकदार हरा में बदल जाता है। एसीकेएन बटन को दबाकर बजर की पावती (एक्नॉलेज) देता है। ब्लॉक को बंद करने के लिए विहित बेल कोड के बाद भेजनेवाले(सेंडिंग) स्टेशन से टेलीफोन पर अनुरोध किए जाने पर : बेल एवं कैंसेल बटनों को एक साथ दबाता है और तब बटनों को रिलीज करता है। टाइमर इंडिकेटर चमकता हुआ प्रकट होता है और 120 सेकेंड के लिए लगातार चमकता रहता है। 120 सेकेंड समाप्त होने के बाद 'ट्रेन कर्मिंग फ्रॉम' इंडिकेशन और टाइमर इंडिकेशन गायब हो जाता है। 'लाइन क्लोज्ड' इंडिकेशन प्रकट होता है।
3.	'ट्रेन गोईंग टू' इंडिकेशन गायब हो जाता है। 'लाइन क्लोज्ड' इंडिकेशन प्रकट होता है।	

(iv) ब्लॉक बैक

शंट चाभी (की) लोको पायलट के लिए स्टार्टर से संबंधित ब्लॉक सेक्शन के प्रथम स्टॉप सिगनल के ओपोजिंग तक शंट करने का प्राधिकार है। यह चाभी (की) लोको पायलट को शंटिंग के दौरान एडवांस स्टार्टर को 'ऑन' स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकृत करता है। रुट की सही सेटिंग और लॉकिंग तथा 'प्रोसीड'(आगे बढ़ो) सिगनल को प्रदर्शित करने के संबंध में सा.एवं स.नि. 3.70 के अनुसार सावधानियाँ बरती जाएंगी। शंटिंग के लिए जब भी पायलट को शंट-की सौंपी जाएगी, तो व्यवहार के दौरान किसी प्रकार की क्षति से बचने के लिए इसे एक उपयुक्त पाउच में रखा जाएगा। स्टेशन मास्टर और लोको पायलट दोनों के द्वारा शंट-की का व्यवहार बड़ी सावधानी से किया जाएगा, क्योंकि शंट-की की क्षति से ब्लॉक प्रणाली में खराबी आ सकती है।

शंट-की को केवल तभी निकाला जा सकता है, जब ब्लॉक पैनल 'लाइन क्लोज्ड' या टीजीटी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा हो। इसे तब नहीं निकाला जा सकता है, यदि ब्लॉक पैनल 'टीसीएफ' स्थिति को प्रदर्शित कर रहा हो। वह एसएम जो शंटिंग-की निकालना चाहता है, तो शंट की अनुमति के लिए दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर सूचित करेगा, जो एक प्राइवेट नंबर के जरिये संदेश की पावती देगा और अनुमति प्रदान करेगा।

(v) 'लाइन क्लोज' स्थिति में शंटिंग-की निकाला जाना :

'लाइन क्लोज' स्थिति के अंतर्गत शंट-की निकाले जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

शंटिंग कार्य निष्पादित करने वाला स्टेशन	दूसरे छोर का स्टेशन
1. स्टेशन मास्टर ब्लॉक पैनल पर 'शंट-की बटन' को दबाएगा और शंट-की निकाल लेगा।	
2. ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के प्रवेश करने पर सेक्शन बजर बजना शुरू हो जाता है और लाइन क्लोज्ड इंडिकेशन गायब हो जाता है। लाइन फ्री इंडिकेशन लाल (आरईडी) में बदल जाता है। एसीकेएन बटन दबाकर बजर की पावती देता है।	3. ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के प्रवेश करने पर सेक्शन बजर बजना शुरू हो जाता है और लाइन क्लोज्ड इंडिकेशन गायब हो जाता है। लाइन फ्री इंडिकेटर लाल (आरईडी) में बदल जाता है। एसीकेएन बटन दबाकर बजर की पावती देता है।
4. ब्लॉक सेक्शन के क्लियर होने के बाद सेक्शन बजर बजना शुरू हो जाता है और लाइन क्लोज्ड इंडिकेशन प्रकट हो जाता है। लाइन फ्री इंडिकेशन हरा (जीआरईईएन) में बदल जाता है। एसीकेएन बटन दबाकर बजर की पावती देता है। प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान किया जाता है।	5. ब्लॉक सेक्शन के क्लियर होने के बाद सेक्शन बजर बजना शुरू हो जाता है और लाइन क्लोज्ड इंडिकेशन प्रकट हो जाता है। लाइन फ्री इंडिकेशन हरा (जीआरईईएन) में बदल जाता है। एसीकेएन बटन दबाकर बजर की पावती देता है। प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान किया जाता है।

(vi) 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति में शंटिंग-की निकाला जाना :

जब भी शंटिंग-की को ब्लॉक पैनल पर "ट्रेन गोइंग टू" इंडिकेशन की स्थिति में शंट-की निकाला जाना आवश्यक हो, तो यह केवल तभी किया जाएगा जब प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के आधार पर "ट्रेन ऑन लाइन" स्थापित कर लिया गया हो।

(ए) ट्रेन का ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने से पहले शंटिंग पूरा हो गया हो :

शंटिंग ट्रेन शंटिंग-की के साथ किसी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करता है और स्टेशन वापस लौट जाता है, जबकि एक अन्य ट्रेन तब भी ब्लॉक सेक्शन है। स्टेशन मास्टर शंटिंग-की को वापस ब्लॉक पैनल में डालता है और जब अन्य ट्रेन सेक्शन क्लियर कर देता है, तो ब्लॉक सेक्शन अपनेआप क्लियर हो जाता है। ट्रेन के द्वारा सेक्शन क्लियर करने का समय और प्राइवेट नंबर एक ट्रेन रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(बी) शंटिंग पूरा होने से पहले ट्रेन सेक्शन को क्लियर कर ली हो :

जब रेगुलर लाइन क्लियर पर ट्रेन ब्लॉक सेक्शन को क्लियर कर ली हो और शंटिंग ट्रेन तब भी सेक्शन में हो, तो

दोनों छोर के ब्लॉक पैनल 'ट्रेन ऑन लाइन' स्थिति को दिखाता रहेगा। जब शंटिंग ट्रेन ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करता है, तो ब्लॉक सेक्शन अपने-आप सामान्य हो जाएगा।

स्टेशन मास्टर शंटिंग-की वापस ले लेगा और शंटिंग-की को ब्लॉक पैनल प्रणाली में वापस डालेगा और सामान्य करेगा। तभी सामान्य ट्रेन संचलन संभव हो जाएगा।

(vii) ट्रेन विभाजित होने की स्थिति में, प्राप्त स्टेशन से ट्रेन के आंशिक क्लियरेंस और शेष हिस्सा भेजनेवाले स्टेशन से :

ब्लॉक सेक्शन के समस्त वाहनों से क्लियर होते ही ब्लॉक अपने-आप सामान्य हो जाएगा बशर्ते कि सामने हिस्से का ट्रेन प्राप्त स्टेशन स्थित सिगनल पर रिसीव किया गया हो। यदि ट्रेन क्लियरिंग नामित सिगनल के अलावा अन्य पर प्राप्त होता है, तो रद्दकरण (कैंसेलेशन) कार्रवाई की आवश्यकता होगी।

6. एक्सल काउंटर की रिसेटिंग :

रिसीविंग (प्राप्ति) स्टेशन पर किसी ट्रेन को रिसीव करने के बाद या किसी ब्लॉक बैक ऑपरेशन के बाद या ब्लॉक सेक्शन में कोई ट्रेन प्रवेश ना की हो और लाइन फ्री इंडिकेटर लाल प्रदर्शित कर रहा हो, तो एक्सल काउंटर को रिसेट करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक्सल काउंटर का रिसेटिंग प्रचालन (ऑपरेशन) को-ऑपरेटिव है और इसके ब्लॉक पैनल पर रिसेट कोऑपरेशन बटन रखने वाला स्टेशन मास्टर कोऑपरेशन देगा।

(i) 'ब्लॉक सेक्शन किसी भी वाहन से मुक्त (क्लियर) है' का सत्यापन करें :

(ए) सा.नि. 4.7 एवं उससे संबंधित स.नि. में निहित प्रक्रिया का पालन किया जाना।

(बी) ट्रेन रजिस्टर जांचने के बाद, उक्त ब्लॉक सेक्शन से होकर गुजरी पिछली ट्रेन का विवरण और आगे के स्टेशन या कंट्रोलर से पता लगाएगा कि पिछली ट्रेन जो गुजरी है, का पूर्णागमन हो चुका है। एसएम, संबंधित एसएम/कंट्रोलर या अन्य पदाधिकारी जिससे ट्रेन के पूर्णागमन की पुष्टि हुई हो, से प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान करेगा।

(i) रिसेटिंग प्रक्रिया :

वाहनों से ब्लॉक सेक्शन क्लियर होने के सत्यापन होने के बाद एक्सल काउंटर के रिसेटिंग के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा :

रिसेट-की से युक्त स्टेशन	रिसेट बटन से युक्त स्टेशन
1. एसएम-की को ढुकाएं और घुमाएं, कॉल अटेन्शन / अटेन्ड टेलीफोन सिगनल देता है।	2. कॉल अटेन्शन/अटेन्ड टेलीफोन सिगनल की पावती देता है।
3. टेलीफोन अटेन्ड करता है।	4. टेलीफोन अटेन्ड करता है।
5. एसएम को सूचित करें कि ट्रेन के आगमन के बाद एक्सल काउंटर खराब हो गया है।	6. पावती देता है।
7. एसएम को सूचित करें कि उक्त ट्रेन जिसे सेंडिंग स्टेशन से रिसीविंग स्टेशन के लिए पास किया गया था, के पूर्णागमन का सत्यापन किया जा चुका है और एक्सल काउंटर को सामान्य करने हेतु उसकी इच्छा की सूचना दें और उनका प्राइवेट नंबर संप्रेषित करें।	8. पावती देता है और एक प्राइवेट नंबर देता है।
9. एक्सल काउंटर को सामान्य करने हेतु को-ऑरिशन का अनुरोध करें।	10. पावती देता है और रिसेट बटन दबाता है।
11. 'रिसेट को-ऑरिशन बटन' के जलने पर रिसेट चाभी को ढुकाएं, घुमाएं और थोड़ी देर के लिए दबाएं और रिलीज करें। सेंडिंग स्टेशन के एसएम को रिसेट बटन रिलीज करने का निदेश दें।	12. बटनों को रिलीज करता है।
13. लाइन फ्री इंडिकेशन हरा से लाल में बदल	14. लाइन फ्री इंडिकेशन हरा से लाल में बदल जाता है।

जाता है। सेक्शन बजर बजना शुरू होता है। ट्रेन गोइंग टू/ट्रेन कर्मिंग फ्रोम इंडिकेशन गायब हो जाता है। 'लाइन कलोज्ड' इंडिकेशन प्रकट होता है। एसीकेएन बटन दबाकर बजर की पावती देता है। रिसेट काउंटर में बढ़ोत्तरी होती है। उक्त नंबर ट्रेन रजिस्टर के साथ-साथ स्टेशन पर रखे काउंटर रजिस्टर में प्राइवेट नंबर के विवरण के साथ दर्ज किया जाएगा।	सेक्शन बजर बजना शुरू होता है। ट्रेन गोइंग टू/ट्रेन कर्मिंग फ्रोम इंडिकेशन गायब हो जाता है। 'लाइन कलोज्ड' इंडिकेशन प्रकट होता है। एसीकेएन बटन दबाकर बजर की पावती देता है।
--	--

.7 ब्लॉक पैनल और अंतिम स्टॉप सिगनल की खराबी :

- (ए) ब्लॉक पैनल की खराबी :
- निम्नलिखित स्थितियों में ब्लॉक पैनल को अनिवार्य रूप से खराब माना जाए :
- ब्लॉक पैनल पर जब कोई इंडिकेशन उपलब्ध ना हो।
 - ब्लॉक पैनल पर जब 'लाइन फ्री' के अलावा अन्य कोई इंडिकेशन यथा 'ट्रेन कर्मिंग फ्रोम'/'ट्रेन गोइंग टू' इंडिकेशन प्रकट न होता हो।
 - जब ब्लॉक सेक्शन में कोई ट्रेन प्रवेश ना की हो, लेकिन ब्लॉक पैनल 'लाइन आक्यूपाइड' लाल इंडिकेशन दिखाता है और यह स्थिति उपर्युक्त पैरा 6 के अनुरूप रिसेटिंग का प्रयास करने के बाद भी यह इंडिकेशन बना रहता है।
 - 'लाइन क्लियर' मांगने और एप्रोच हेतु अनुमति स्वीकार करने की स्थिति मौजूद होने के बावजूद जब समुचित कार्रवाई के बाद 'ट्रेन गोइंग टू' या 'ट्रेन कर्मिंग फ्रोम' इंडिकेशन प्रकट न होता हो।
 - स्टेशन के दोनों छोर पर ब्लॉक सेक्शन में किसी ट्रेन के प्रवेश करने पर 'ट्रेन ऑन लाइन' संकेत देने हेतु 'ट्रेन गोइंग टू' या 'ट्रेन कर्मिंग फ्रोम' इंडिकेटर लाल में नहीं बदलता है।
 - जब किसी ट्रेन का रिसेटिंग स्टेशन पर आगमन हो चुका है, लेकिन ब्लॉक पैनल अब भी 'ट्रेन ऑन लाइन' लाल संकेत दिखाता है और उपर्युक्त पैरा 6 के अनुरूप रिसेटिंग का प्रयास करने के बाद भी यह स्थिति बनी रहती है।
 - जब किसी ट्रेन का रिसेटिंग स्टेशन पर आगमन हो चुका है, लेकिन दोनों स्टेशनों पर एसएनकेई इंडिकेटर और एलसीबी चाभी सुनिश्चित करने के बाद भी ब्लॉक पैनल चमकदार हरा/हरा इंडिकेशन दर्शा रहा है।
 - संचार के संपूर्ण विफलता के दौरान ट्रेन का संचालन रेलवे में लागू वर्तमान नियमों के अनुरूप होगा।
 - ब्लॉक उपस्कर अर्थात् ब्लॉक पैनल, एक्सल काउंटर ट्रैक डिवाइसेस, एक्सल काउंटर उपस्कर और ब्लॉक मल्टिप्लेक्सर उपस्कर इत्यादि संबंधी किसी प्रकार के खराबी देखी या रिपोर्ट की जाती है।
 - जब अंतिम स्टॉप सिगनल को इसके दबे रहने/संपर्क कट जाने (सप्रेशन/डिस्कनेक्शन) के दौरान 'ऑन' स्थिति में नहीं रखा जा सकता है।
 - किसी ट्रेन के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने पर जब स्टेशन का अंतिम स्टॉप सिगनल 'ऑन' स्थिति में नहीं जा सकता है।
 - जब बेल कोड सिगनल अस्पष्ट रूप से प्राप्त होता है या प्राप्त नहीं होता है

नोट :

- उपर्युक्त सभी मामले में, ब्लॉक संचालन के लिए ब्लॉक पैनल को अनिवार्य रूप से खराब माना जाए और ट्रेनों का संचालन अनिवार्य रूप से उपलब्ध इलेक्ट्रिक कम्प्युनिकेशन उपस्कर पर लाइन क्लियर लेकर और सा.नि. 14.3 के प्रावधानों का पालन करते हुए ही किया जाएगा
- उपर्युक्त पैरा के मद संख्या (viii) में दर्शाई गई खराबी के मामले में ट्रेनों को अनिवार्यतः स.नि.6.02 में दिए गए वर्तमान नियमों के अंतर्गत संचालित किया जाएगा।

- (iii) उपर्युक्त पैरा 7(ए) के मद सं. (v), (ix) एवं (x) में दर्शाई गई खराबियों के मामले में एलएसएस को 'ऑन' स्थिति में रखने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। यदि यह संभव न हो, तो आनेवाली ट्रेनों के लोको पायलट/मोटरमैन को चेतावनी देने के लिए एक सक्षम रेलकर्मि को हाल हाथ सिगनल के साथ एलएसएस के फुट के पास तैनात किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित दिशाओं की समस्त ट्रेनों को होम सिगनल पर रोका जाएगा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे स्टॉप तक आ चुके हैं, होम सिगनल को कांशन एस्पेक्ट पर ही क्लियर किया जाएगा। स्टार्टर को टेक ऑफ नहीं किया जाएगा और स्टार्टर और एलएसएस को इसके ऑन रहने के दौरान पास करने के लिए संबंधित पेपर प्राधिकार जारी करके ट्रेन को रवाना किया जाना चाहिए। एलएसएस की खराबी के बारे में लोको पायलट/मोटरमैन को भी सतर्कता आदेश (कांशन ऑर्डर) जारी किया जाना चाहिए।
- (iv) ब्लॉक पैनल को तब तक सामान्य कामकाज के लिए पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कोई सक्षम सिगनलिंग कर्मचारी उसकी जाँच ना कर ले एवं प्रमाणित ना करें।
- (v) उपर्युक्त पैरा (ए) में उल्लिखित सभी मामलों में खराबी के बारे में तत्काल सिगनल एवं दू.सं. कर्मचारी को सूचित किया जाएगा।

(बी) अंतिम स्टॉप सिगनल की खराबी :

निम्नलिखित मामलों में अंतिम स्टॉप सिगनल को अनिवार्यतः खराब हुआ माना जाएगा

- (i) लाइन क्लियर प्राप्त किए जाने के बावजूद अंतिम स्टॉप सिगनल को टेक 'ऑफ' नहीं किया जा सकता।
- (ii) लाइन क्लियर प्राप्त किए बिना अंतिम स्टॉप सिगनल को नीचे नहीं किया जा सकता।
- (iii) ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन प्रवेश करने के बाद अंतिम स्टॉप सिगनल को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता।

नोट :

- 1) उपर्युक्त पैरा 7(बी) में उल्लिखित सभी मामलों में खराबी के बारे में तत्काल सिगनल एवं दू.सं. कर्मचारी को सूचित किया जाएगा।
- 2) उपर्युक्त पैरा (बी) (i) एवं (iii) में उल्लिखित मामलों के संबंध में ब्लॉक पैनल की खराबी से जुड़े पैरा 7(ए) के अंतर्गत नोट सं. (iii) एवं (iv) में दर्शाई गई सावधानियों को कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा।

8. ब्लॉक संचालन/अंतिम स्टॉप सिगनल का निलंबन :

(ए) ब्लॉक संचालन का निलंबन :

निम्नलिखित मामलों में ब्लॉक संचालन को अनिवार्यतः निलंबित किया जाएगा और ट्रेनों को वर्तमान अनुदेशों के अनुसार संचालित किया जाएगा :

- (i) जब सेक्शन में मेटेरियल लॉरी, मोटर ट्रॉली, टाई-टैपिंग मशीन और रेल मोटर टॉवर वैगन (चौपहिया) को चलाया जाना हो, तो इन्हें पीएलसी पर संचालित किया जाएगा।
- (ii) वीच-सेक्शन में कोई दुर्घटना ।
- (iii) जब ब्लॉक उपस्कर का कोई पार्ट मरम्मत के लिए खोला जाता है, जिसे केवल विधिवत स्वीकृत वियोजन (डिसकनेक्शन) नोटिस के अंतर्गत किया जाएगा। ब्लॉक पैनल संचालन को पूर्व रेलवे में लागू वर्तमान नियमों के अनुसार प्राधिकृत किसी रेलकर्मि के द्वारा ही फिर से चालू किया जाएगा।

नोट : जैसे ही ब्लॉक संचालन के निलंबन के कारण का निवारण होता है, एसएम द्वारा सामान्य संचालन पुनर्स्थापित किया जाएगा।

(बी) अंतिम स्टॉप सिगनल का निलंबन :

अंतिम स्टॉप सिगनल निम्नलिखित मामलों में शिथिल (इन-कोऑपरेटिव) समझा जाएगा और निलंबित माना जाएगा :

- (i) जब अंतिम स्टॉप सिगनल सिगनल एवं दूरसंचार कर्मचारी द्वारा मरम्मत कार्य के लिए लिया गया हो
- (ii) 'ब्लॉक बैक' के दौरान ।
- (iii) बीच-सेक्शन में दुर्घटना।
- (iv) जब सेक्शन में मैटेरियल लॉरी/ट्रॉली, टाई-टैपिंग मशीन या टॉवर वैगन को चलाया जाना हो।

नोट :

i) जैसे ही एलएसएस के निलंबन के कारण का निवारण होता है, एसएम द्वारा सामान्य संचालन पुनर्स्थापित किया जाएगा।

9. जब ब्लॉक पैनल/ अंतिम स्टॉप सिगनल खराब हो जाए, तो ट्रेनों का संचालन :

ए) ब्लॉक पैनल की विफलता :

जब भी ब्लॉक पैनल खराब हो जाए, तो लाइन क्लियर उपलब्ध इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन उपस्कर पर और सा.नि. 14.3 एवं उसके स.नि. के प्रावधानों का पालन करते हुए ही लिया जाएगा।

बी) अंतिम स्टॉप सिगनल की खराबी और ब्लॉक पैनल काम कर रहा है।

प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान का समय और शंटिंग परिचालन के पहले और बाद आदान-प्रदान किए गए प्राइवेट नंबरों को रजिस्टर में लाल स्याही में दर्ज किया जाए। वह स्टेशन जहाँ शंटिंग किया जाना है, शंटिंग करने के साथ-साथ प्रथम स्टॉप सिगनल के ऑपोजिंग तक स्टार्टर / एडवांस्ड स्टार्टर के 'ऑन' स्थिति में रहने के दौरान पास करने हेतु लोको पायलट/मोटरमैन को लिखित प्राधिकार दिया जाएगा।

एकल लाइन के लिए एक्सल काउन्टर ब्लॉक पद्धति

एसएम के पैनल के साथ मूल्यांकन
आरेख सं. आरडीएसओ/एस- 32010/002/011



3. एलफा अंकीय प्रकार के प्रदर्शक टीजीटी, टीसीएफ, और एलसी सूचक हैं.
2. टेलीफोन ब्रैकेट पैनल के दोनो में से एक तरफ रखा जाना चाहिए.
1. एसएम का लॉक एवं ईएसएम का लॉक पैनल के पीछे अलग से उपलब्ध करना चाहिए.

एकल लाइन के लिए एक्सल काउन्टर ब्लॉक पद्धति

एसएम के पैनल के बिना मूल्यांकन
आरेख सं. आरडीएसओ/एस- 32010/003/011



3. एलफा अंकीय प्रकार के प्रदर्शक टीजीटी, टीसीएफ, और एलसी सूचक हैं.
2. टेलीफोन ब्रैकेट पैनल के दोनों में से एक तरफ रखा जाना चाहिए.
1. एसएम का लॉक एवं ईएसएम का लॉक पैनल के पीछे अलग से उपलब्ध करना चाहिए.

Sd/-

कोलकाता, दिनांक: 16.09.2011

(राकेश सक्सेना)
मुख्य परिचालन प्रबंधक

पूर्व रेलवे
कोलकाता

ब्लॉक संचालन नियमावली का छठा जोड़ एवं शुद्धिपत्र (पुनः प्रकाशित 2004)

1. निम्नलिखित फार्म की वर्तमान परिशिष्ट बी का ब्लॉक संचालन नियमावली की जगह बदलना चाहिए.

फार्मों का नमूना गाड़ी संचालन के साथ संबंधित का प्रयाग करें जैसा की ब्लॉक संचालन नियमावली के पुष्ठ संख्या- 136 के परिशिष्ट बदलने/एवज़ के अंदर और उसके बाद निम्न अन्य प्रकार के फार्म का क्रम संख्या के जैसे समान होंगे.

क्रम सं.	विवरण	संख्या	अक्षर का रंग
27.	गाड़ी प्रस्थान स्टेशन के ब्लॉक उपकरणों का अवरोध/विलम्ब/गैर-प्रावधान की घटना में लाइन क्लियर पूछताछ एवं जवाबी संदेश पंजिका.	टी/ए 1425	काला
27ए.	गाड़ी आगमन स्टेशन के ब्लॉक उपकरणों का अवरोध/विलम्ब/गैर-प्रावधान की घटना में लाइन क्लियर पूछताछ एवं जवाबी संदेश पंजिका.	टी/बी 1425	काला
28.	पेपर लाइन क्लियर टिकट (अप)	टी/सी 1425	नीला
29.	पेपर लाइन क्लियर टिकट (डाउन)	टी/सी 1425	नीला

2. उपरोक्त कथित संशोधित फार्म संख्या और फॉर्मेट पृष्ठ संख्या 171 एवं 172 की जगह होगा और जो फार्म निम्न है :-

पूर्व रेलवे

.....

ब्लॉक उपकरणों का अवरोध/विलम्ब/गैर-प्रावधान की घटना में लाइन क्लियर
पूछताछ एवं जवाबी संदेश पंजिका
गाड़ी प्रस्थान स्टेशन
लाइन क्लियर इन्क्वारी

- | | | | |
|--|-----|---|---------------------|
| ए | 1. | दिनांक..... | संचार का तरीका..... |
| | 2. | स्टेशन मास्टर के द्वारा.....(एसएम का नाम)..... | (स्टेशन) |
| | 3. | गाड़ी संख्या..... | अप/डाउन |
| | 4. | बजे लाइन क्लियर पूछा गया और बजे स्टेशन से जवाब प्राप्त किया गया. | |
| | 5. | अंतिम गाड़ी सं..... अप/डाउन बजे स्टेशन को छोड़ा. | |
| | 6. | और बजे स्टेशन..... पर पहुंचा. | |
| प्राइवेट संख्या प्राप्त किया गया(अंको एवं शब्दों में)..... | | | |
| गाड़ी आगमन सेक्शन | | | |
| बी | 7. | गाड़ी संख्या..... अप/डाउन बजे स्टेशन को छोड़ा. | |
| | 8. | स्टेशन से गाड़ी आने का सेक्शन सूचना प्राप्त और बजे स्वीकृति की गई. | |
| गाड़ी प्रास्थान सेक्शन | | | |
| सी | 9. | गाड़ी संख्या..... अप/डाउन का स्टेशन पर बजे आगमन. | |
| | 10. | स्टेशन से गाड़ी जाने का सेक्शन सूचना प्राप्त और बजे स्वीकृति की गई. | |
| लाइन क्लियर रद्द करना | | | |
| डी | 11. | बजे लाइन क्लियर रद्द किया गया. लाइन क्लियर रद्द का कारण..... | |
| | 12. | प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान दिया गया..... प्राप्त किया गया..... | |

स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दे.

*प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन के लिए अलग-अलग पंजिका को रखें.

पूर्व रेलवे

.....

ब्लॉक उपकरणों का विफलता/विलम्ब/गैर-प्रावधान की घटना में लाइन क्लियर
पूछताछ एवं जवाबी संदेश पंजिका.

गाड़ी आगमन स्टेशन
लाइन क्लियर इन्क्वारी

- | | | | | |
|--|---|-----|---|---------------------|
| ए | { | 1. | दिनांक..... | संचार का तरीका..... |
| | | 2. | स्टेशन मास्टर के द्वारा.....(एसएम का नाम)..... | (स्टेशन) |
| | | 3. | गाड़ी संख्या..... | अप/डाउन |
| | | 4. | बजे लाइन क्लीयर पूछा गया और बजे स्टेशन से जवाब प्राप्त किया गया. | |
| | | 5. | अंतिम गाड़ी सं..... अप/डाउन बजे स्टेशन को छोड़ा. | |
| | | 6. | और बजे स्टेशन..... पर पहुंचा. | |
| प्राइवेट संख्या प्राप्त किया गया(अंको एवं शब्दों में)..... | | | | |
| गाड़ी आगमन सेक्शन | | | | |
| बी | { | 7. | गाड़ी संख्या..... अप/डाउन बजे स्टेशन को छोड़ा. | |
| | | 8. | स्टेशन से गाड़ी आने का सेक्शन सूचना प्राप्त और बजे स्वीकृति की गई. | |
| गाड़ी प्रास्थान सेक्शन | | | | |
| सी | { | 9. | गाड़ी संख्या..... अप/डाउन का स्टेशन पर बजे आगमन. | |
| | | 10. | स्टेशन से गाड़ी जाने का सेक्शन सूचना प्राप्त और बजे स्वीकृति की गई. | |
| लाइन क्लियर रद्द करना | | | | |
| डी | { | 11. | बजे लाइन क्लियर रद्द किया गया. लाइन क्लियर रद्द का कारण..... | |
| | | 12. | प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान दिया गया..... प्राप्त किया गया..... | |

स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दे.

*प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन के लिए अलग-अलग पंजिका को रखें.

पूर्व रेलवे

फॉर्म सं- टी /सी .1425

क्र सं.

पेपर लाइन क्लियर टिकट
(लोको पायलट/रिकार्ड)

अप

गाड़ी सं. अप (विवरण)

तिथि समय घंटा मिनट

स्टेशन मास्टर की ओर से

सेवा में गाड़ी सं. अप के लोको पायलट

लाइन क्लियर है और स्टेशन तक आगे बढ़ने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

अंतिम गाड़ी सं. स्टेशन तक सेक्शन क्लियर है।

प्राइवेट सं. (शब्दों में) (अंकों में)

ऑन स्थिति में सिगनल से गुजरने का प्राधिकार

*खतरे में अंतिम स्टॉप सिगनल से गुजरने के लिए आपको प्राधिकृत किया जाता है, जब ब्लॉक उपस्कर के साथ सिगनल को इंटरलॉक किया गया हो ।

SD/-

स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर

स्टेशन मास्टर का मुहर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

पूर्व रेलवे

फॉर्म सं-सी/टी .1425

क्र सं.

पेपर लाइन क्लियर टिकट
(लोको पायलट/रिकार्ड)

अप

गाड़ी सं. डाउन (विवरण)

तिथि समय घंटा मिनट

स्टेशन मास्टर की ओर से

सेवा में गाड़ी सं. डाउन के लोको पायलट

लाइन क्लियर है और स्टेशन तक आगे बढ़ने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

अंतिम गाड़ी सं. स्टेशन तक सेक्शन क्लियर है।

प्राइवेट सं. (शब्दों में) (अंकों में)

ऑन स्थिति में सिगनल से गुजरने का प्राधिकार

*खतरे में अंतिम स्टॉप सिगनल से गुजरने के लिए आपको प्राधिकृत किया जाता है, जब ब्लॉक उपस्कर के साथ सिगनल को इंटरलॉक किया गया हो ।

स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर

स्टेशन मास्टर का मुहर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

SD/-

कोलकाता
दिनांक 02.02. 2016

(सुचित्तो कुमार दास)
मुख्य परिचालन प्रबंधक